न्यायालय विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर।
पीठासीन अधिकारी– (ANIL KUMAR KHARWAR), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP 6500

UPHM010022352016

सत्र परीक्षण संख्या–129/2016

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन पक्ष**

बनाम

1–रोहित यादव पुत्र स्व० वीर सिंह यादव
2–कुंवरपाल सिंह यादव पुत्र ओमकार यादव
3–प्रेमचन्द्र यादव पुत्र शिवबालक यादव
4–महेश यादव पुत्र दयाराम यादव
5–गोपाल कुशवाहा पुत्र रामदयाल कुशवाहा ......**(मृतक)**
समस्त निवासीगण ग्राम पतारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर उ०प्र०।

................**अभियुक्तगण**

अन्तर्गत धारा–147, 148, 308 भा०दं०सं०
मु०अ०सं०–58/2016
थाना–कुरारा, जिला हमीरपुर।

एवं

UPHM010000982017

विशेष वाद संख्या–05/2017

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन पक्ष**

बनाम

1–दीपक यादव पुत्र रामसागर यादव
निवासी ग्राम पतारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर उ०प्र०।

....................**अभियुक्त**

अन्तर्गत धारा–147, 148, 308 भा०दं०सं०
मु०अ०सं०–58/2016
थाना–कुरारा, जिला हमीरपुर।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(द.प्र.क्षे.), हमीरपुर।

एवं

UPHM010022362016

विशेष वाद संख्या–130/2016

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन पक्ष**

बनाम

1–रोहित यादव पुत्र स्व० वीर सिंह
निवासी ग्राम पतारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर उ०प्र०।

...................**अभियुक्त**

अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम
मु०अ०सं०–91/2016
थाना–कुरारा, जिला हमीरपुर।

एवं

UPHM010022372016

विशेष वाद संख्या–131/2016

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन पक्ष**

बनाम

1–कुंवर पाल यादव पुत्र ओमकार यादव
निवासी ग्राम पतारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर उ०प्र०।

...................**अभियुक्त**

अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम
मु०अ०सं०–92/2016
थाना–कुरारा, जिला हमीरपुर।

निर्णय

1– थाना पुलिस कुरारा, जिला हमीरपुर द्वारा अभियुक्तगण रोहित यादव, कुंवरपाल सिंह यादव, प्रेमचन्द्र यादव, महेश यादव, गोपाल कुशवाहा व दीपक यादव के विरुद्ध मु०अ०सं०–58/2016, धारा–147,148,308 भा०दं०सं० में एवं अभियुक्तगण रोहित यादव व कुंवरपाल यादव के विरुद्ध क्रमशः मु०अ०सं० 91/2016, 92/2016 अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम, में पृथक–पृथक आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त का विचारण उपरोक्त अपराधों में इस न्यायालय द्वारा किया गया।

2– संक्षेप में प्रकरण के निस्तारण हेतु आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा/प्रार्थी सुनील सिंह पुत्र भूरा सिंह ने थाना कुरारा, जिला हमीरपुर में इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की कि " प्रार्थी के बहनोई नरेन्द सिंह पुत्र महावीर सिंह निवासी ग्राम झलोखर थाना कुरारा जिला हमीरपुर,

देशी मदिरा दुकान डालोखर पर सेल्लस मैन का काम करते है जो दिनांक 17.02.016 को रात्रि करीब 10 बजे दुकान की गद्दी पर बैठे थे तब मैं प्रार्थी अपने बहनोई को खाना खाने के लिये बुलाने दुकान पर गया था कि ताभि रोहित सिंह यादव पुत्र स्व० वीर सिंह यादव व कुवंरपाल सिंह यादव पुत्र ओमकार यादव व दीपक यादव पुत्र रामसागर यादव व प्रेमचन्द्र यादव पुत्र शिववालक व महेश यादव पुत्र दयाराम यादव व गोपाल कुशवाहा पुत्र रामदयाल समस्त निवासीयण पातारा थाना कुरारा जिला हमीरपुर दो मोटरसाइकिलो से आये जिसमे रोहित सिंह राइफल लिये था व दीपक यादव दो नाली बन्दुक लिये था व कुंवरपाल सिंह 315 बोर की अद्धी लिये था सभी दुकान के अन्दर जबरजस्ती घुस आये और गोलक में रखे लगभग 6000 हजार रूपये लुटकर ले जाने लगे। प्रार्थी व उसके बहनोई नरेन्द्र सिंह ने विरोध किया तो रोहित सिंह प्रार्थी के सिने पर राइफल लगा दी और साथियो से कहा लुटो तब शेष लोगो ने मेरे बहनोई के साथ मारपीट शुरू कर दी। उक्त लोगो की वेतहासा मारपीट में मेरे वहानोई जब मारणासन्न स्थिति में हो गये तब उक्त लोग गोलक में रखे लगभग 6000 हजार रू0 तथा कुछ दारू की बोतलें अपने साथ लेकर, यह कहते हुये चले गये यदि पुलिस में हमारा नाम बताया तो तुम भी जिन्दा नहीं रहोगे और बुरी–बुरी गलियां दी। मैंने अपने बहनोई को 108 न0 इम्बुलेन्स में ले जाकर सरकारी अस्पताल हमीरपुर में भार्ती किया है प्रार्थी के बहनोई का इलाज हमीरपुर अस्पताल में चल रहा है डाक्टरों ने मेरे बहनोई की हालत में सुधार ना होने के कारण उनको कानपुर हैलट के लिये रिफर कर दिया है। उक्त लोग गुंडा किस्म के हैं। इनके खिलाफ क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है ये अंतक का पर्याय बन चुके हैं। इस घटना से लगभग एक माह पूर्व भी उक्त लोगों द्वारा देशी मदिरा दुकान झलोखर में घटना की थी, जिसकी सूचना थाने में मुझ प्रार्थी के बहनोई नरेन्द्र सिंह द्वारा दी गयी थी उक्त लोगो का नाम मुझ प्रार्थी के बहनोई ने, मुझसे इलाज के दौरान बताया था अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी की रिपोर्ट लिखकर कानूनी कायर्वाही करने की कृप्या करें।"

3– वादी मुकदमा सुनील सिंह की ओर से प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना कुरारा, जिला हमीरपुर में दिनांक 20.02.2016 को समय 23.55 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट(प्रदर्श क–13) मु०अ०सं०–58/2016, अन्तर्गत धारा–395 भा०दं०सं० में अभियुक्तगण रोहित यादव, कुंवरपाल सिंह यादव, दीपक यादव, प्रेमचन्द्र यादव, महेश यादव एवं गोपाल कुशवाहा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया, जिसका उल्लेख उसी समय 23.55 बजे नकल रपट नं० 37 दिनांक 20.02.2016 को ही किया गया। प्रकरण की विवेचना विवेचक को सुपुर्द की गई। विवेचक ने घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–21 बनाया। अभियोजन कागजात, तहरीर वादी मुकदमा, नकल रपट का इन्द्राज केस डायरी में किया। दौरान विवेचना प्रकरण से संबंधित अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किये गए तथा अभियुक्तगण के कब्जे से शस्त्र बरामद किये गए, जिला मजिस्ट्रेट से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। तथ्य तथा औपचारिक साक्षियों के बयान केस डायरी में अंकित किये गए। विवेचना की संपूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात विवेचक द्वारा अभियुक्तगण रोहित यादव, कुंवरपाल सिंह यादव, प्रेमचन्द्र यादव, महेश यादव, गोपाल कुशवाहा व दीपक यादव के विरुद्ध मु०अ०सं०–58/2016, धारा–147, 148, 308 भा०दं०सं० में एवं अभियुक्तगण रोहित यादव व कुंवरपाल यादव के विरुद्ध क्रमशः मु०अ०सं० 91/2016, 92/2016 अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम, में पृथक–पृथक आरोप पत्र प्रेषित किये गए।

4– अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित होने पर अभियुक्तगण को जरिये प्रोसेस तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये। अभियुक्तगण के न्यायालय उपस्थित आने पर दिनांक 09.08.2016 को अभियुक्तगण रोहित यादव, प्रेमचन्द्र, महेश, गोपाल एवं कुंवरपाल के विरूद्ध व दिनांक 19.01.2017 को अभियुक्त दीपक यादव के विरुद्ध अन्तर्गत

धारा–147, 148, 308 भा०दं०सं० में एवं दिनांक 09.08.2016 को अभियुक्तगण रोहित यादव एवं कुंवर पाल यादव के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम में पृथक–पृथक आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इंकार किया गया तथा विचारण की मांग की गई। फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य आहूत किया गया।

दौरान विचारण अभियुक्त गोपाल कुशाहा की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध मुकदमा उपशमित (अबेट) किया गया।

5– अपने कथनों के समर्थन में अभियोजन की ओर से निम्मलिखित प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं–

क्र०सं०	प्रपत्र	प्रदर्श
1–	तहरीर वादी मुकदमा	प्रदर्श क–1
2–	प्रार्थना पत्र एस०पी०, हमीरपुर	प्रदर्श क–2
3–	आहत आख्या (नरेन्द्र)	प्रदर्श क–3
4–	डिस्चार्ज स्लिप(कानपुर अस्पताल)	प्रदर्श क–4
5–	डायग्नोस्टिक सेन्टर की रिपोर्ट (सी०टी० स्कैन)	प्रदर्श क–5
6–	सी०टी० स्कैन रिपोर्ट (नरेन्द्र)	प्रदर्श क–6
7–	डिस्चार्ज स्लिप(कानपुर अस्पताल)	प्रदर्श क–7
8–	सी०टी० स्कैन रिपोर्ट (नरेन्द्र)	प्रदर्श क–8
9–	नक्शा नजरी घटनास्थल	प्रदर्श क–9
10–	आरोप पत्र सं० 64/2016	प्रदर्श क–10
11–	आरोप पत्र सं० 64 ए/2016	प्रदर्श क–11
12–	नकल रपट नं० 24 धारा–395 भा०दं०सं०	प्रदर्श क–12
13–	चिक एफ०आई०आर० अ०स० 58/16 धारा–395 भा०दं०सं०	प्रदर्श क–13
14–	चिक एफ०आई०आर० अ०स० 58/16 धारा–3/25 Arms Act	प्रदर्श क–14
15–	नकल रपट नं० 19 धारा–3/25 Arms Act	प्रदर्श क–15
16–	चिक एफ०आई०आर० अ०स० 92/16 धारा–3/25 Arms Act	प्रदर्श क–16
17–	नकल रपट नं० 24 धारा–3/25 Arms Act	प्रदर्श क–17
18–	नक्शा नजरी घटनास्थल (अ०सं० 91/16 धारा–3/25 Arms Act	प्रदर्श क–18
19–	अभियोजन स्वीकृति (अ०सं० 91/16 धारा–3/25 Arms Act	प्रदर्श क–19

20–	आरोप पत्र (अ०सं० 91/16 धारा–3/25 Arms Act	प्रदर्श क–20
21–	नक्शा नजरी घटनास्थल (अ०सं० 92/16 धारा–3/25 Arms Act	प्रदर्श क–21
22–	अभियोजन स्वीकृति (अ०सं० 92/16 धारा–3/25 Arms Act	प्रदर्श क–22
23–	आरोप पत्र (अ०सं० 92/16 धारा–3/25 Arms Act	प्रदर्श क–23
24–	फर्द बरामदगी एक अदद देशी बन्दूक 12 बोर एक अदद देशी रायफल 315 बोर, एक अद्धी देशी 315 बोर मय कारतूस	प्रदर्श क–24
25–	गिरफ्तारी प्रपत्र रोहित यादव	प्रदर्श क–25
26–	फर्द बरामदगी एक अदद देशी रायफल 315 बोर व एक अदद डी०बी०बी०एल० गन मय कारतूस	प्रदर्श क–26
27–	गिरफ्तारी प्रपत्र अभियुक्त कुंवरपाल	प्रदर्श क–27

6– अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगयाये गये आरोप के सम्बन्ध में तथा अपने कथनों के समर्थन में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

1–	पी०डब्लू०–1	सुनील कुमार	वादी मुकदमा
2–	पी०डब्लू०–2	नरेन्द्र सिंह	चुटहैल
3–	पी०डब्लू०–3	आर०जी शंखवार	चिकित्सक
4–	पी०डब्लू०–4	डा० राघवेन्द्र गुप्ता	चिकित्सक
5–	पी०डब्लू०–5	उ०नि० सुरेन्द्र सिंह	विवेचक
6–	पी०डब्लू०–6	हे०कां० राजेन्द्र सिंह	चिक लेखक
7–	पी०डब्लू०–7	उपनिरीक्षक पन्नालाल	विवेचक
8–	पी०डब्लू०–8	निरीक्षक सुभाष कुमार यादव	वादी मुकदमा, आर्म्रस एक्ट

7– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 सुनील कुमार ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं हाजिर अदालत मुल्जिम प्रेमचन्द्र को जानता हूँ। अभियुक्त रोहित यादव, महेश, गोपाल, कुवर पाल, दीपक यादव को जानता हूँ। दिनांक 17.02.2016 को मैं अपने बहनोई नरेन्द्र सिंह के पास था। मेरे बहनोई नरेन्द्र सिंह ग्राम झलोखर के रहने वाले हैं और झलोखर पर ही देशी मदिरा की दुकान पर सेल्समेन का काम करते थे। दिनांक 17.02.2016 को रात में करीब 10 बजे जब मैं अपने बहनोई नरेन्द्र सिंह की दुकान पर उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने गया था तभी उपरोक्त मुल्जिमान रोहित सिंह यादव, कुंवरपाल

सिंह यादव, गोपाल कुशवाहा जो ग्राम पतारा के रहने वाले हैं, दो मोटरसाइकिलों से आये थे, जिसमें दीपक दोनाली बन्दूक, रोहित सिंह रायफल व कुंवरपाल 315 बोर की अद्धी लिये हुए थे। उपरोक्त सभी छः लोग शराब की दुकान के अन्दर जबरदस्ती घुंसकर गुल्लक में रखे छः हजार रुपये लूटकर ले जाने लगे। मैंने व मेरे बहनोई नरेन्द्र सिंह ने इस बात का विरोध किया तो मेरे सीने पर रोहित सिंह ने रायफल लगा दी और अपने साथियों से लूट लेने के लिये कहा तभी मेरे बहनोई के साथ सभी लोग मारपीट करने लगे, जिससे मेरे बहनोई गंभीर रूप से घायल हे गए और मुझसे व मेरे बहनोई से मुल्जिमान ने धमकी दी कि यदि पुलिस को हमारे नाम बताये तो जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। तब मैंने 108 नंबर पर फोन कर एम्बुलेंस बुलाकर सीधे जिला अस्पताल हमीरपुर इलाज हेतु ले गया था, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखकर डाक्टरों ने भर्ती कर लिया था। मुल्जिमान जाते समय दुकान के अन्दर रखे छः हजार रुपये व कुछ शराब की बोतलें लूटकर ले गए थे। दुकान के अन्दर गैस बत्ती जल रही थी व दुकान से लगे बगल वाले घर के अन्दर बिजली का बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में मैंने व मेरे बहनोई ने मुल्जिमानों को भली भांति देखा व पहचाना था। दिनांक 19.02.2016 को मेरे बहनोई नरेन्द्र सिंह को जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर हैलट कानपुर के लिये रिफर कर दिया था। तब मैं उन्हें अस्पताल के अन्य लोगों को साथ में अस्पताल में ही बैठाकर अपने गांव के महेश से बोलकर तहरीर लिखवाकर, थाना कुरारा में जाकर दिया था। तहरीर मेरे बोलने पर लिखी गई थी व मैंने पढ़कर, सुनकर उस पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे। गवाह ने पत्रावली में संलग्न कागज सं० 4क पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। थाना कुरारा से लौटकर मैं अस्पताल, हमीरपुर गया था। जहां मेरे बहनोई नरेन्द्र सिंह ने बताया था कि जिस रिश्तेदार से इलाज हेतु पैसे मंगाये थे, वह पैसे की व्यवस्था नहीं कर सके हैं तब अस्पताल हमीरपुर में डाक्टर साहब से निवेदन करके उन्हें पुनः इलाज हेतु हमीरपुर भर्ती करा दिया था। पैसों की व्यवस्था होने पर 23.02.3016 को नरेन्द्र सिंह रिफर कराकर कानपुर के हैलट अस्पताल ले गए थे। इस घटना के लगभग एक माह पूर्व भी इन लोगों द्वारा इसी दुकान पर घटना कारते हुए अभद्रता करते हुए व धमकी दी थी, जिसकी सूचना भी नरेन्द्र सिंह द्वारा थाना कुरारा में दी गई थी। अभियुक्तगणों के नाम पता मुझे मेरे बहनोई द्वारा बताये गए थे। दरोगा जी ने मेरे बयान लिये थे।

8– साक्षी पी०डब्लू०–1 से बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मुल्जिम पतारा जिला हमीरपुर के रहने वाले हैं। मेरे गांव से पतारा 40–45 किलोमीटर दूर पड़ता है। तिन्दुही गांव से मैं पतारा गांव कभी नहीं गए। झलोखर में मेरी सगी बहन सुधा ब्याही है, जो मुझसे बड़ी है। साल में एक बार झलोखर रक्षाबंधन में जाता हूँ। सुधा की शादी के बाद आज से 4–5 साल पहले 2–3 साल में झलोखर में सुधा के घर में रहा था। मैं झलोखर में विवेकानन्द स्कूल में कक्षा 5–7 तक पढ़ा हूँ। पढ़ाई के दौरान मैं कभी पतारा नहीं गया। विवेकानन्द स्कूल में मुल्जिम मेरे साथ नहीं पढ़ते थे। महेश मुल्जिम की उम्र 30–35 साल व गोपाल की उम्र लगभग 36–37 होगी। महेश व गोपाल को रात में घटना के समय दस बजे उस दिन देखा था। इसके बाद एक आध बार कचहरी में देखा था। घटना के पहले कभी नहीं देखा था। मैं पतारा के बड़े उर्फ वीरेन्द्र सिंह को नहीं जानता हूँ। मेरे बहनोई की यदि रिश्तेदारी हो तो मुझे जानकारी नहीं है। जिसमें मेरे बहनोई काम करते हैं, वह ठेका किसी बेरी गांव वालों का है, किसका है, मुझे नहीं मालूम। यह कहना गलत है कि उक्त ठेका बड़े उर्फ वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जयकरन सिंह निवासी पतारा के नाम था। यह कहना गलत है कि बड़े उर्फ वीरेन्द्र से मेरे बहनोई की रिश्तेदारी हो। घटना के दिन मैं 10–11 बजे झलोखर अपनी बहन के घर आया था। मैं काफी दिन से बहन के घर नहीं आया था इसलिये घूमने गया था। मेरे बहनोई को कितनी तनख्वाह मिलती है, इस सेल्समेन की नौकरी में, मुझे पता नहीं है। घटना वाले दिन बहनोई घर से कितने बजे ड्यूटी में गए थे, मुझे नहीं मिले,

इसलिये नहीं बता सकता ड्यूटी में जा चुके थे, जब मैं पहुँचा था। मैं झलोखर प्रातः 10–11 बजे पहुँचा था। मुझे पता है कि शराब की दुकान रात 22 बजे बन्द होती है। मुझे नहीं मालूम कि रात 8 बजे दुकान बन्द होनी चाहिये। उस रात गांव में बारात आई थी, किसकी व कहां से आई, जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि उस बारात में आये लोगों ने शराब की दुकान खुलवाई हो और इसी में मारपीट हुई हो। मैं घटना के बाद 19 परवरी 2016 को रिपोर्ट करने गया था। मैं अकेले थाने गया था। तहरीर मैंने अपने गांव के महेश सिंह से लिखाई थी। तहरीर अस्पताल में लिखाई थी। करीब 10–11 बजे लिखाई थी। मैं मोटरसाइकिल से गया था। घटनास्थल हमीरपुर जिला अस्पताल 12–13 किलोमीटर होगा। सरकारी अस्पताल से थाना कोतवाली हमीरपुर कितनी दूर है, मुझे अन्दाजा नहीं है। मैं नहीं बता सकता कि अस्पताल से कोतवाली ज्यादा से ज्यादा 20 मीटर दूर है। मैं थाना के बाद अपने बहनोई को स्वयं अस्पताल लेकर आया था। 108 नंबर एम्बुलेंस से लेकर आया था। एंबुलेंस मैंने अपने मोबाइल से बुलाई थी। एंबुलेंस को फोन करीब 10.30 बजे रात में किया था। घटना करीब 10 बजे रात में हुई थी। एंबुलेंस में दो–तीन लोग और थे जो एंबुलेंस में साथ आये थे। मैं घटनास्थल से अपने बहनोई के साथ अकेले अस्पताल आया था। कुरारा में भी सरकारी अस्पताल है। झलोखर गांव जहां पर घटना हुई है, उसका क्षेत्राधिकार भी कुरारा में आता है। घटना के वक्त मेरे पास मोबाइल था, जिसका नंबर 7398398756 था। इसी नंबर से मैंने एंबुलेंस बुलाई थी। घटना के बाद मैं अपने बहनोई के साथ रहा था जब मैं अपने बेहनोई को अस्पताल ले गया हूँ, उस समय वह होश में नहीं थे, उन्हें 19 तारीख को सुबह पांच–छः बजे होश आया था। होश आने के बाद मैं थाना कुरारा में रिपोर्ट लिखाने थाना कुरारा आया था। शराब की दुकान, जिसमें घटना हुई थी, वह बेरी के किसी व्यक्ति के नाम है। मुझे नाम पता नहीं है। इस दुकान में मेरे बहनोई करीब एक साल से सेल्समेन की नौकरी कर रहे थे। मुझे पता नहीं कि झलोखर से बेरी कितनी दूर है। मैं कभी बेरी नहीं गया हूँ, इसलिये यह नहीं बता सकता हूँ, कि कुरारा से बेरी रोड से करीब 14 किलोमीटर दूर है। मुझे पता नहीं है कि मेरे बहनोई को सेल्समेन की कितनी तनख्वाह मिलती थी। दुकान देशी शराब की थी। मैंने अपने फोन से दुकान पर घटना होने की सूचना दुकान मालिक नहीं दी थी क्योंकि उनका नंबर मेरे पास नहीं था। मैंने रिपोर्ट करने के पहले अपने बहनोई से दुकान मालिक का नंबर नहीं पूछा था। मैं लूट की घटना की कोई सूचना आबकारी विभाग में नहीं दी थी। यह मुझे मालूम है कि आबकारी का कार्यालय यहीं हमीरपुर मुख्यालय में है। मुझे नहीं मालूम कि शराब दुकान मालिक ने मेरे रिपोर्ट करने के पहले कोई सूचना इस बावत थाने में या आबकारी विभाग में दी थी या नहीं। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों द्वारा लूट व मारपीट की घटना न की गई हो और मैं रंजिशवश झूठी गवाही दे रहा हूं। घटना के बाद दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। इक्कीस तारीख को लिया था। घटनास्थल शराब की दुकान पर लिया था। मेरी निशांदेही पर ही मौके का नक्शा मेरे बताने पर बनाया था। घटना शराब की दुकान के अन्दर हुई थी। अगर दरोगा जी ने घटनास्थल नक्शा नजरी में दुकान के बाहर दर्शित किया हो तो मैं उसका कारण नहीं बता सकता हूँ। मैं दुकान अपने बहनोई को खाने खिलाने के लिये बुलाने गया था। दुकान से मेरी बहनोई का घर करीब एक–डेढ़ किलो मीटर दूर होगा। मैं दुकान पर करीब रात 10 बजे पहुँचा था। मेरे दुकान पहुँचने के करीब पांच–दस मिनट बाद मुल्जिमान दुकान पर आ गए थे। इन पांच–दस मिनट में मेरे बहनोई से बातचीत हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि चलो दुकान बन्द करके खाना खाने चलते हैं। बीच बचाव में मेरे चोटे नहीं आई थी। दुकान वाले कमरे की चौड़ाई आठछ–नौ फीट एवं लंबाई करीब 15 फीट होगी। दुकान पक्की बनी है, फर्श पक्का है, पर खुदा कुछ नहीं। मेरे फोन करने के लगभग डेढ़ घण्टे बाद एंबुलेंस घटनास्थल पहुँची थी। एंबुलेंस पहुँचने तक मैं एवं चुटहैल घटनास्थल पर ही बने रहे। इस बीच मौके पर कोई आम व्यक्ति नहीं आया था। मेरे बहनोई नरेन्द्र सिंह के परिवार वाले भी नहीं

आये थे। मेरी बहन उस समय ग्राम झलोखर में ही थी। मैंने घटना के बारे में अपनी बहन को फोन करके, घटना की जानकारी दी थी। ऐसा नहीं है कि मैं घटनास्थल पर मौजूद न हूँ एवं मेरे द्वारा घटना न देखी हो। ऐसा भी नहीं है कि घटना हो जाने के बाद मैं घटनास्थल में पहुँचा हूँ। यह कहना गलत है कि मेरे बहनोई को बरातियों ने शराब के ज्यादा रुपये मांगने पर विवाद हो जाने पर मारा पीटा हो। यह भी कहना गलत है कि मेरे बहनोई ने बरातियों के कहने पर शराब की दुकान बन्द हो जाने के बाद खोली हो और इसी बात कमें ज्यादा रुपये मांगने पर बरातियों से झगड़ा हो गया हो। मैंने गुल्लक से नोट निकालते हुए देखा है। यह नहीं देखा था कि कितने–कितने के नोट थे। बदमाश बोतलें उठा ले गये थे। शराब में बीस–पच्चीस बोतलें उठा ले गए थे। सभी बोतलें देशी शराब की थी। सभी पउवा थे। शराब की काफी पेटियां रखी थी, परन्तु कितनी पेटियां थी, मैं नहीं बता सकता हूँ। मुझे नहीं मालूम है कि लूटे हुए रुपये बिक्री के थे या मेरे बहनोई के व्यक्तिगत थे। मुझे यह भी नहीं मालूम है कि बिक्री के रुपये रोज जमा हो जाते थे या वहीं रखे रहे थे। यह कहना गलत है कि घायल मेरे बहनोई हैं, इसलिये मैं झूठा बयान दे रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मेरे बहनोई नरेन्द्र सिंह की रिश्तेदारी ग्राम पतारा के जयकरन सिंह पुत्र जगराम सिंह के यहां है। मुझे यह भी नहीं मालूम कि इस केस के मुल्जिम रोहित सिंह, दीपक, कुंवरपाल, प्रेमचन्द्र, जयकरन सिंह निवासी पतारा के लड़के रमन सिंह के कत्ल में अभियुक्त हैं। यह भी मुझे नहीं मालूम कि रमन सिंह का कत्ल इस घटना के पहले हुआ था। यह मुझे जानकारी नहीं है कि इसी रंजिश की वजह से जयकरन सिंह तथा उसके लड़के वीरेन्द्र ब्रह्म सिंह ने मेरे बहनोई से मिलकर झूठा मुकदमा कायम कराया हो।

9– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 नरेन्द्र सिंह** ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं मुल्जिमान रोहित यादव, कुंवर पाल यादव, दीपक यादव, महेश यादव, प्रेमचन्द्र यादव एवं गोपाल कुशवाहा को मैं जानता हूँ। घटना के पहले से भी जानता हूँ। घटना दिनांक 17.02.2016 की रात को दस बजे की है। मैं अपनी शराब के दुकान के अन्दर था। मैं शराब की दुकान में सेल्समेन के पद पर कार्यरत था, जो दुकान ग्राम झलोखर में स्थित है। दुकान बुद्ध सिंह सेंगर के नाम से आवंटित है। दुकान के अन्दर गैस बत्ती जल रही थी एवं बाहर बल्ब जल रहा था। तभी मेरा साला सुनील कुमार मुझे खाना खाने के लिये घर से बुलाने आया था तो मैंने कहा कि थोड़ी देर रुके चल रहा हूँ। इसके बाद रोहित यादव 315 बोर की रायफल लिये हुए, दीपक यादव 12 बोर की दुनाली लिये, कुंवरपाल 315 बोर की अद्धी, गोपाल कुशवाहा, प्रेमचन्द्र यादव, महेश यादव दुकान के अन्दर घुंस आए। इसके बाद गोलक में रखे छः हजार रुपये लूटने लगे तो मैंने विरोध किया एवं मेरे साले ने भी विरोध किया, तब रोहित ने मेरे साले सुनील के रायफल सीने में अड़ा दी। इसके बाद रोहित ने कहा कि लूटे, तब मैंने पुनः विरोध किया तो सभी मुझे लात घूंसों से मारने पीटने लगे और मुझे लहू लुहान कर दिया था। इसके बाद मैं लहू लुहान होकर गिर पड़ा। गोलक में रखे छः हजार रुपये व शराब की कुछ बोतलें ले जाने लगे, जाते समय धमकी दी कि यदि पुलिस में हमारा नाम बताया तो तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद मेरे साले ने 108 नंबर एंबुलेंस को फोन किया। इसके बाद मैं बेहोश हो गया था। इसके बाद मेरा साला मुझे लादकर हमीरपुर अस्पताल लाया। इसके बाद उन्नीस तारीख को सुबह पांच बजे मुझे होश आया तब मेरे साले ने नाम पूछे कि ये लोग कौन–कौन थे। तब मैंने अपने साले को उपरोक्त सभी मुल्जिमानों के नाम बताये थे। तब मेरा साला रिपोर्ट करने गया था। उन्नीस तारीख को फरवरी महीने सन् 2016 में कानपुर हैलट अस्पताल के लिये मुझे हमीरपुर से रिफर किया था। लेकिन पैसे न होने के कारण पुनः हमीरपुर अस्पताल में ही भर्ती रहा। दिनांक 23.02.2016 को कानपुर हैलट अस्पताल के लिये रिफर किया था। हैलट में दिनांक 23.02.2016 से 29.02.2016 तक मेरा इलाज चला था। इसके बाद डाक्टर साहब ने कहा कि 08.03.2016 को आना। मैं गया तब

मेरा आप्रेशन हुआ था। दिनांक 13.03.2016 को छुट्टी मिली थी। अस्पताल की रिपोर्ट पर्चे आदि आज दिनांक 15.12.2017 को दाखिल कर रहा हूँ। जिनमें एक प्रार्थना पत्र जो दिनांक 23.01.2016 को एस०पी० हमीरपुर को दिया था, जिसकी रसीद भी उसी के साथ संलग्न है। यह प्रार्थना पत्र इस घटना से पहले का है। यह प्रार्थना पत्र मैंने हमीरपुर से टाइप कराया था। पढ़कर अपने दस्तखत बनाये थे, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। घटना स्थल वाली दुकान देशी मदिरा का लाइसेंस प्रमाण पत्र दाखिल कर रहा हूँ। दौरान इलाज जो मेरा सी०टी० स्कैन कराया गया, उसकी रिपोर्ट व प्लेट दाखिल कर रहा हूँ। सभी मुल्जिमान ग्राम पतारा के रहने वाले हैं। पतारा के पास हरेठा में शीतला माता का मन्दिर पड़ता है, वहां मैं आता जाता रहता हूँ, जिसका ग्राम पतारा के अन्दर से होकर रास्ता है और उसी रास्ते पर मुल्जिमानों के मकान हैं। इसी में आते जाते उनको जानता हूँ। शराब की दुकान सुबह नौ बजे से रात ग्यारह बजे तक खुलती है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। मेरा साला सुनील ग्राम तिन्दुही (मौदहा) का रहने वाला है।

10– साक्षी पी०डब्लू०–2 से बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि विवेचक ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। घटना के बाद मुझको विवेचक मिला, उसने मेरे कागज (अस्पताल) के देखे, कुछ कागज ले गए, कुछ नहीं ले गए थे। मैं उस अस्पताल से वापस आकर अपने घर ग्राम झलोखर में था। उसी समय विवेचक घर पर आये थे। मुझे समय याद नहीं है, कितने बजे आये थे। जिस समय दरोगा जी कागजात ले गए थे, उस समय मैं, मेरी पत्नी व बच्चे घर पर थे। मैं यह नहीं बता सकता कि कौन–कौन से कागजात दरोगा जी ले गए थे और कौन–कौन से कागजात नहीं ले गए थे। यह कहना गलत है कि प्रदर्श क–2 जो आज मैंने दाखिल किया है, वह फर्जी व बनावटी है, जिसे मुकदमेसाजी के लिये दाखिल किया हो। यह भी कहना गलत है कि दरोगा जी द्वारा कुछ कागजात ले जाने वाली बात एवं कुछ कागजात न ले जाने वाली बात का बयान मैं इसी वजह से दे रहा हूँ। शराब की दुकान में उस दुकान के लाइसेंस की कापी रहती है। उस पर दुकान के मालिक का नाम पता एवं दुकान का नंबर तथा विक्रेता का नाम पता अंकित रहता है। मैंने विवेचक को दुकान का लाइसेंस नहीं दिखाया था। आज मैंने जो सी०टी० स्कैन की प्लेट रिपोर्ट व अन्य कागजात दाखिल किये हैं, वह कागजात मैंने दरोगा जी को देने थाने नहीं गया था। यह कहना गलत है कि उपरोक्त कागजात मैंने मुकदमे में बल देने के लिये फर्जी तरीके से तैयार करवाये हों। मैंने जो प्रदर्श क–2 प्रार्थना पत्र आज दाखिल किया है, वह एस०पी० हमीरपुर को उस घटना के तीन दिन बाद दिया था। मैं उस घटना की तारीख व एस०पी० हमीरपुर को प्रार्थना पत्र देने की तारीख नहीं बता सकता हूं, याद नहीं है। पहले वाली घटना में कोई लूटपाट नहीं हुई थी। ऐसा नहीं है कि इस वाली घटना में भी कोई लूटपाट न हुई हो और मैंने झूठी लूटपाट की बात कही हो। ऐसा भी नहीं है कि मुल्जिमानों द्वारा कोई घटना न कारित की हो और मैंने रंजिशन मुल्जिमानों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई हो। पतारा गांव झलोखर से लगभग आठ किलोमीटर दक्षिण में है। पतारा में मेरी कोई भी रिश्तेदारी नहीं है। पतारा में वर्तमान में रोहित यादव की मम्मी प्रधान हैं। मैं ठाकुर बिरादरी का हूँ। मुझे यह नहीं मालूम कि यादवेन्द्र सिंह व वीरेन्द्र सिंह अप्राधी प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे नहीं मालूम कि यादवेन्द्र उर्फ माझिल के खिलाफ थाना कुरारा में 26 से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। मुझे नहीं मालूम कि जयकरन सिंह का एक लड़का रमन सिंह भी था। मैंने यह भी नहीं सुना कि रमन सिंह की हत्या वर्ष 2013 में ग्राम पतारा के बाहर हो गई थी। यह भी नहीं मालूम कि उसी घटना में जयकरन सिंह, वीरेन्द्र सिंह, माझिल आदि ने एक व्यक्ति मुनीम सिंह की हत्या कर दी थी। जिस दुकान में ठेका था, वह पक्का कमरा है। उस कमरे की चौड़ाई 9–10 फिट व लंबाई 14–15 फिट है। इसी कमरे के अन्दर घटना हुई थी। कमरे में एक दरबाजा व खिड़की दो हैं। कमरे का दरबाजा पूरब की तरफ है व खिड़कियां भी पूरब की तरफ हैं। खिड़कियों में लकड़ी के दरबाजे लगे हैं। कमरे में दारू का स्टाक के अलावा तखत, रुपयों वाली

गोलक तथा गैंस सिलेंडर था। घटना के टाइम कितना स्टाक था, इतना याद नहीं। स्टाक अंग्रेजी दारू का था। दारू के स्टाक में देशी पउवा थे। ये सभी पउवा प्लास्टिक की शीशी में थे। दुकान में कितना स्टाक रखने का अधिकार था, मुझे मालूम नहीं, ठेकेदार जानता हो। उस दिन स्टाक में कितनी शीशी थी, मैं नहीं बता सकता। उस दिन कितने पउवा बिके थे, मैं यह भी नहीं बता सकता। शराब के पउवा भी बदमाश लूटकर ले गए थे। मैं बेहोश हो गया था, इस वजह से मैं नहीं बता सकता कि कितने बदमाश शराब के पउवा लूट के ले गए थे। गोलक में उस समय छः हजार रुपये ही थे। दोपहर में मैंने शराब की बिक्री के रुपये घर भेज दिये थे। छः हजार रुपये घटना वाले दिन दोपहर तीन बजे से रात दस बजे तक की बिक्री के थे। मैं एक शीशी शराब (पउवा) 70 रुपये में बेचता था। इन बिक्री वाले रुपयों में कितने–कितने के नोट थे, यह मैं नहीं बता सकता। रुपयों में कितने–कितने के नोट थे, यह मैं नहीं बता सकता। इनमें कुछ 100 के होंगे, कुछ 500 के होंगे। कमरे की दीवालों में प्लास्टर नहीं था। कमरे की जमीन में प्लास्टर था। कमरे के दरबाजे की लंबाई–चौड़ाई मैं नहीं बता सकता। घटना वाले समय मैं व मेरा साला सुनील दोनों कमरे के अन्दर थे। बिक्री वाली शराब ग्राहकों को खिड़की से देते थे। बिक्री के दौरान कमरे का दरबाजा अन्दर से बन्द रखते थे। दरबाजा अन्दर से बन्द करने के लिये जंजीर है। घटना वाले दिन गांव में बराते आई थीं, मुझे याद नहीं। शाम के टाइम छः हजार के लगभग डेली बिक्री हो जाती थी। बिक्री रात में ग्यारह बजे तक होती रहती थी। मैं जब अस्पताल से लौटकर गांव गया था तो ठेकेदार ने बताया था कि 22 पउवा शीशी नहीं थे। जब तक मैं अस्पताल में था तो दुकान बन्द रही थी क्योंकि दुकान की चाभियां मेरे पास थी। ठेकेदार को किसने सूचना दी कि दुकान में लूट हो गई है, मैं नहीं बता सकता। मुझे ठेकेदार अस्पताल में देखने गया था, परन्तु मैं बेहोश था, इसलिये यह नहीं बता सकता कि ठेकेदार हमीरपुर में किस दिन देखने आया। मुझे 19 फरवरी 2016 को समय सुबह 5–6 बजे सरकारी अस्पताल हमीरपुर में होश आया था। मैं 17 तारीख को रात 10 बजे मारपीट के समय बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया था, मैंने घटना की तहरीर गांव के एक लड़के से लिखवाई थी। तहरीर में मुल्जिमानों के नाम मेरे बताने पर ही लिखे गए थे। घटना के समय कौन अभियुक्त, कौन से असलाहें लिये थे, यह भी मेरे बताने पर लिखा था। मेरे सर के अलावा और शरीर में कहीं चोटें नहीं थी। मेरे गांव का थाना कुरारा लगता है। घटनास्थल थाने से 4 किलोमीटर दूर है। कुरारा में सरकारी अस्पताल भी है। हमीरपुर सदर अस्पताल हमारे गांव से 12 किलोमीटर है। घटना के टाइम बड़े भाइयों से लड़ाई नहीं रहती थी। एक बड़ा भाई पांच–छः मकान दूर रहता है। भाई तथा परिवार वाले मुझे देखने अस्पताल गए थे। मुझे पता नहीं कि मेरे साथ झलोखर से कौन आया था। घटना के वक्त मैं शर्ट व लोवर पहने था। लोवर व शर्ट खून से भीगे थे। बेहोशी के कारण मैं बता नहीं सकता। चोट लगने से सर से खून नहीं निकला था। केवल कान से खून निकला था। घटना के वक्त जो भी कपड़े पहने था, वो दरोगा जी ने नहीं लिये थे। उन कपड़ों के विषय में मैं नहीं बता सकता कि कब धुले गए। मापीट के बाद अभियुक्तगण ने 4 मिनट बाद लूटपाट की। झलोखर में मेरी शराब की दुकान के अलावा और कोई शराब की दुकान नहीं है। कुारार में शराब की दुकाने हैं, बता नहीं सकता कितनी दुकाने हैं। पतारा में घटना के समय कोई शराब की दुकान थी या नहीं, मैं नहीं बता सकता। मैं यह भी नहीं बता सकता कि पतारा की आबादी झलोखर से ज्यादा है। रोहित की मां इस समय पतारा की ग्राम प्रधान है। यह वही रोहित है, जो इस केस में अभियुक्त है। इस केस में वांछित सभी अभियुक्त पतारा गांव के रहने वाले हैं। मैंने पतारा के वीरेन्द्र ब्रम्ह सिंह उर्फ बड़े लाला पुत्र जयकरन सिंह जो न्यायालय के बहर बैठा है, उसे मैंने नहीं देखा। यह कहना गलत है कि वीरेन्द्र ब्रह्म सिंह ही मुझे गवाही देने हेतु लिवाकर लाता है। यह भी कहना गलत है कि वीरेन्द्र ब्रह्म सिंह मेरा रिश्तेदार है। मुझे यह नहीं मालूम है कि पतारा ग्राम में करीब 10 वर्षों से देशी शराब की दुकान है। यह कहना गलत है कि पतारा वाली शराब की दुकान शुरु से

माझिल सिंह, वीरेन्द्र ब्रह्म सिंह पुत्रगण जयकरन सिंह के नाम रही हो। मुझे यह जानकारी नहीं है कि घटना के वक्त पतारा वाली शराब की दुकान इन्हीं लोगों के नाम थी। यह कहना गलत है कि वीरेन्द्र ब्रह्म सिंह ने मुझे झलोखर वाली शराब की दुकान में नौकरी दिलाई थी। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों द्वारा मारपीट व लूटपाट की घटना कारित न की गई हो और मैं वीरेन्द्र ब्रह्म सिंह के कहने पर अभियुक्तगण के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाया हो। यह भी कहना गलत है कि इसके पूर्व भी मैंने वीरेन्द्र ब्रह्म सिंह के कहने पर एक झूठा प्रार्थना पत्र देशी शराब की दुकान में लूटपाट के संबंध में तहसील दिवस हमीरपुर दिया था, झूठा व जांच में असत्य पाया गया। यह कहना भी गलत है कि मुझे जानकारी है कि वीरन्द्र ब्रह्म सिंह के भाई रमन सिंह की हत्या में इन्हीं मुल्जिमानों को अभियुक्त बनाया गया। मुझे यह भी जानकारी नहीं है। इस केस में वांछित अभियुक्त गोपाल कुशवाहा, अभियुक्त रोहित सिंह का करीब 25 वर्षों से नौकर है तथा घर का कामकाज संभालता है। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि अभियुक्त महेश रोहित की मां कुसमा देवी के प्रधानी के कार्य में सहयोग करता है। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि अभियुक्तगण शराब का नशा नहीं करते हैं। मुझे यह भी नहीं मालूम कि वीर सिंह की हत्या पतारा में हो गई थी, जो पतारा का ग्राम प्रधान था। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि इसके पूर्व रोहित की माँ कुसमा देवी ग्राम प्रधान रही हो। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि अभियुक्त रोहित का सगा चाचा कुंवर पाल है तथा दीपक भाई लगता है। यह भई नहीं मालूम है कि अभियुक्त प्रेमचन्द्र का खास व्यवहारी है। यह कहना गलत है कि मेरे साथ कोई मारपीट न हुई हो। यह भी कहना गलत है कि दारू के नशे में तखत से मैं पक्के फर्स में गिर गया हूं, जिससे सर में चोट आ गई हो। यह भी कहना गलत है कि वीरेन्द्र ब्रह्म सिंह ने अपनी दुश्मनी के कारण मुझसे गलत लोगों के नाम रिपोर्ट दर्ज करा दी हो। यह कहना गलत है कि घटना वाली बात मैं मुकदमें में बल देने के कारण झूठी कह रहा हूं। हमीरपुर अस्पताल में मेरा इलाज हुआ था। चोटों का मुआयना हुआ था या नहीं, मैं नहीं बता सकता। मुझे यह नहीं मालूम कि लूटपाट घटना दरोगा जी ने विवेचना में असत्य पाई हो।

11– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–3 डा० आर०जी० संखवार ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 18.02.2016 को समय 12:40 A.M. पर मैं दीवान शत्रुघन सिंह जिला चिकित्सालय पुरुष हमीरपुर में आकस्मिक चिकित्साधिकारी के रूप में ड्यूटी कर रहा था। उसी समय नरेन्द्र पुत्र महावीर उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम झलोखर थाना कुरारा जिला हमीरपुर को घायल अवस्था में 108 एमबुलेन्स द्वारा लाकर आकस्मिक चिकित्सा विभाग में दाखिल किया गया था, जिनका चिकित्सीय परीक्षण मेरे द्वारा उसी समय किया गया था। चुटहिल नरेन्द्र पहचान के चिन्ह के रूप में मैंने उसके दाहिने हाथ का अंगूठा लगवाया था। चुटहिल के शरीर पर निम्न चोटे पाई गई थी– 1. रगड़ के साथ नीलगू निशान, जिसका की आकार आठ से०मी० x पाच से०मी० था, जो कि दांए भौं के ऊपर मौजूद था, जिसके लिए एक्स–रे की सलाह दी गई थी। 2. रगड़ जिसका की आकार एक से०मी० x 0.5 से०मी० x खाल तक गहरा जोकि दांये पैर के पंजे में बीच की तरफ डार्सल साइड पर मौजूद था। इसके आसपास जमा हुआ रक्त मौजूद था। 3. नीलगू निशान तिरछा रंग लाल जिसका की आकार पाच से०मी० x दो से०मी० जो कि दांए स्टेपुला की टिप से पांच से०मी० नीचे को स्थित था। नोट– बांए कान से खून बह रहा था। चोट सं० 1 को जेरे निगरानी रखा गया था, उसके लिए एक्स–रे की सलाह दी गई थी एवं चोट सं० 2 एवं 3 साधारण प्रकृति की थी। जो कि चोटे ताजा थी और चोट सं० 1, 2 एवं 3 सख्त एवं कुंदला से आना संभव थी। रिपोर्ट के अंत में मैंने मजरूब निशानी अंगूठा लगवाया था और उसे प्रमाणित किया था। साक्षी ने एस०टी०सं० 5/2017 में शामिल कागज सं० 5 क/1 लगायत 5 क/4 देखकर कहा यह वही आहत आख्या है, जो मेरे द्वारा तैयार की गई थी। जिसपर प्रदर्श क–3 डाला गया।

12– साक्षी पी०डब्लू०–3 से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि ताजा चोट से मेरा आशय छः घंटे की चोट से है। जिस चोट नं० 1 को मैने निगरानी में रखकर एक्स–रे की सलाह दी थी, वह मुझे देखने को नहीं मिली और न ही आज मेरे सामने है। मैंने मरीज को भर्ती किया था और कागज सं0 220क/1 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। कागज सं० 220क/2 डा० विनय प्रकाश के लेख में लग रहे हैं व हस्ताक्षर उन्हीं के हैं। वो मेरे साथ सर्जन के तौर पर जिला अस्पताल में तैनात रहे हैं। मेरे द्वारा मरीज को मात्र भर्ती किया गया था, रिफर नहीं किया गया था। मेरे सामने जो कागज सं० 220क/1 है, उसमें परिणाम के सामने 23.02.2016 को रेफर किया जाना सर्जन के द्वारा अंकित है। यह शल्य चिकित्सक डा० विनय प्रकाश के प्रतीत हो रहे हैं। भर्ती करते समय मजरुफ की साँस में एल्कोहल की गंध आ रही थी। मरीज को एंबुलेस 108 नंबर ले के आयी थी। इसमें RTA लिखा है, जिसको एंबुलेस 108 नंबर ले के आयी थी। इसमें RTA का मतलब Road Traffic Accident है। कागज सं० 220क/1 के पृष्ठ भाग में जो डा० विनय प्रकाश के हस्तलेख में प्रतीत होता है, उसमें सर में एक्सीडेंटल इंजरी का होना लिखा है। मजरुफ के बायें कान से रक्तस्त्राव था। मरीज के साथ मरीज के परिजन मौजूद नहीं थे, उसको 108 नंबर एंबुलेंस ले के आयी थी। इसलिये लेकर आने वाले कालम में एंबुलेंस का पता लिखा है। मरीज भर्ती किये जाते समय अर्द्धमूर्क्षित अवस्था में था। आगे जिरह में कथन किया है कि मैंने मरीज से उसकी चोटों के सम्बन्ध में कुछ नहीं पूछा था क्योंकि वह अर्द्धमूर्क्षित अवस्था में था। जैसा मुझे 108 एंबुलेंस लाने वालों ने बताया था। मरीज के शरीर में जिस तरीके की चोटें थीं, वैसी चोटें ज्यादातर रोड साइड एक्सीडेंट में ही आती हैं। **इन चोटों का मारपीट से आयी होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।**

13– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–4 डा० राघवेन्द्र गुप्ता ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 23.02.2016 को अपने यूनिट के जूनियर डाक्टरों के साथ जी०एस०वाई०एम० कालेज के हैलट अस्पताल में तैनात था। उस दिन मजरूब नरेन्द्र उम्र 35 वर्ष पता ग्राम झलोखर थाना कुरारा को ई०एम०ओ० के द्वारा सिर में चोट लगने की वजह से मेरी यूनिट में भर्ती कराया गया। मेरी यूनिट के द्वारा मजरूप नरेन्द्र का सी०टी० स्कैन हैलट अस्पताल में स्थित ए०पी० डाइग्नोस्टिक सेन्टर में कराया गया। सी०टी० स्कैन की रिपोर्ट में लेफ्ट टैम्पोरो पैराइटला में खून के धब्बे(Acude SDH) एवं लेफ्ट फ्रन्टल में भी खून के धब्बे पाये गए। मरीज का इलाज दवाईयों के माध्यम से किया गया। मरीज का दुबारा सी०टी० स्कैन दिनांक 27.02.2016 को पुनः कराया गया, जिसमें खूनके थक्के घटते हुए पाये गए। मरीज को दिनांक 29.02.2016 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था एवं उसे एक हफ्ते बाद पुनः दिखाने के लिये बुलाया गया था। मरीज नरेन्द्र की डिस्चार्ज स्लिप मेरी देखरेश में मेरे जूनियर डाक्टर द्वारा तैयार की गई थी, जिसमें मेरे हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने पत्रावली में शामिल कागज सं० 8क/1 को देखकर कहा कि यह वही डिस्चार्ज स्लिप है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि में करता हूं। जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। साक्षी ने पत्रावली में शामिल कागज सं० 8क/2 ए०पी० डाइग्नोस्टिक सेन्टर की रिपोर्ट दिनांकित 23.02.2016 व 27.02.2016 कागज सं० 57ख देखकर कहा कि यह वही सी०टी० स्कैन रिपोर्ट है, जो मेरी सलाह पर मरीज नरेन्द्र की कराई गई थी, जिन पर क्रमशः प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6 डाला गया। मजरूब नरेन्द्र दिनांक 08.03.2016 को दुबारा अस्पताल में दिखाने आये थे, जिनका मेरे द्वारा पुनः ए०पी० डाइग्नोस्टिक सेन्टर से सी०टी० स्कैन कराया गया, जो पत्रावली में कागज सं० 26क/6 के रूप में शामिल है, में पिछले खून के थक्के Chronic SDH के रूप में पाये गए, जिसका इलाज के लिये मरीज को पुनः BHT No.7603 के माध्यम से दिनांक 08.03.2016 को ही हैलट में भर्ती किया गया। भर्ती करने के पश्चात आप्रेशन के द्वारा उन थक्कों को निकाला गया। मजरूब नरेन्द्र को दिनांक

13.03.2016 को हैलट अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। दिनांक 08.03.2016 से 13.03.2016 तक के इलाज की डिस्चार्ज स्लिप पत्रावली में कागज सं० 26क/5 के रूप में शामिल है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। तत्पश्चात मरीज को मंगलवार व गुरुवार को पुनः आकर दिखाने की सलाह दी गई थी। डिस्चार्ज स्लिप व सी०टी० स्कैन रिपोर्ट पर क्रमशः प्रदर्श क–7 व प्रदर्श क–8 डाला गया। मजरूब नरेन्द्र के सिर की यह चोट जानलेवा था।

14– साक्षी पी०डब्लू०–4 से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि सी०टी० स्कैन में दिमाग के बायें हिस्से में Acude SDH एवं लेफ्ट फ्रंटल में दिमाग में चोट थी। मस्तिष्क के किसी भी भाग में फ्रैक्चर नहीं था। मरीज नरेन्द्र दिनांक 23.02.2016 को भर्ती हुआ था तथा दिनांक 29.02.2016 को डिस्चार्ज हो गया था। जब डिस्चार्ज किया था तब मरीज की स्थिति स्थिर थी, लेकिन दिमाग में थक्के थे, जो घट रहे थे। यह चोट किसी कठोर जमीन से टकराने से आ सकती है।

15– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–5 उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिंह ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 17.02.2016 को मैं थाना कुरारा में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। थाना हाजा पर दिनांक 20.02.2016 को दर्ज मु.अ.सं. 58/2016 बनाम रोहित यादव आदि धारा 395 भा०द०सं० की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गई थी। पर्चा न० 01 दिनांक 21.02.2016 को किता किया गया था जिसमें नकल चिक कायमी तथा लेखक राजेन्द्र के बयान दर्ज कर, घटना स्थल पर वादी मुकदमा के बयान दर्ज किये गये तथा वादी की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना के स्वतंत्र साक्षीगण के बयान दर्ज किये थे। साक्ष्य के आधार पर धारा 395 भा०द०सं० का लोप किया गया था तथा धारा 147, 148, 308 भा०द०सं० में तरमीम किया था। साक्षी द्वारा पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 7 क देखकर कहा यह नक्शा नजरी मैंने वादी की निशादेही पर अपने हस्तलेख में तैयार किया था। साक्षी द्वारा इसपर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की गई। कागज संख्या 7 क पर प्रदर्श क–9 डाला गया। पर्चा न० 02 दिनांक 25.02.2016 को किता किया था जिसमें पतारसी, सुरागरसी अभियुक्तगण का उल्लेख है। पर्चा न० 03 दिनांक 01.03.2016 को किता किया था जिसमें बयान मजरूब नरेन्द्र के बयान दर्ज किये थे तथा मेडिकल रिपोर्ट अवलोकन कर संलग्न सी.डी. किया था। पर्चा न० 04 दिनांक 17.03.2016 को किता किया था जिसमें पतारसी, सुरागरसी अभियुक्तगण का उल्लेख है। पर्चा न० 05 दिनांक 17.03.2016 को किता किया था जिसमें पतारसी, सुरागरसी अभियुक्तगण का उल्लेख है। पर्चा न० 06 दिनांक 19.03.2016 को किता किया था जिसमें माननीय न्यायालय से अभियुक्तगण का एन.बी.डब्लू. प्राप्त किया था। पर्चा न० 07 दिनांक 01.04.2016 को किंता किया था जिसमें पतारसी, सुरागरसी अभियुक्तगण का उल्लेख है। पर्चा न० 08 दिनांक 02.04.2016 को किता किया था जिसमें अभियुक्त रोहित व कुंवरपाल के पर्चा हाजिरी का विवरण अंकित किया गया। पर्चा न० 9 दिनांक 04.04.2016 को किता किया था जिसमें अभियुक्त रोहित व कुंवरपाल के माननीय न्यायालय की अनुमति से जिला कारागार हमीरपुर पर जाकर बयान दर्ज किये जाने का उल्लेख अंकित है। पर्चा न० 10 दिनांक 07.04.2016 को किता किया था जिसमें अभियुक्तगण उपरोक्त रोहित व कुंवरपाल का माननीय न्यायालय से पी.सी.आर. लेने हेतु माननीय न्यायालय से आवेदन किये जाने का उल्लेख अंकित है। पर्चा न० 11 दिनांक 08.04.2016 को किता किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा वाद सुनवाई अग्रिम तिथि 11.04.2016 नियत किये जाने का उल्लेख अंकित है। पर्चा न० 12 दिनांक 11.04.2016 को किता किया था जिसमें अभियुक्तगण रोहित व कुंवरपाल का पी.सी.आर. माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत किये जाने का उल्लेख अंकित है। पर्चा न० 13 दिनांक 12.04.2016 को किता किया था जिसमें तत्कालीन थाना प्रभारी श्री सुभाष कुमार यादव के साथ मय पुलिस फोर्स के

अभियुक्तगण उपरोक्त रोहित की निशांदेही पर अभियुक्त के बताये हुये स्थान नेठी जंगल में घनी झाड़ियों से अभियुक्त रोहित द्वारा एक काली पोलीथीन में लिपटी हुई एक अदद देशी बन्दूक 12 बोर, एक अदद देशी राइफल 315 बोर, एक अद्धी देशी 315 बोर व एक अदद फैक्ट्री मेड बन्दुक 12 बोर जिसका नम्बर घिसा हुआ था व चार अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, दो अदद खोखा कारतूस 12 बोर व दो अदद जिन्दा व पांच अदद खोखा कारतूस 315 बोर, निकाल कर दिया था। वहीं मौके पर एस.आई. श्री बलबीर सिंह को बोल बोलकर एस.ओ. श्री सुभाष चन्द्र यादव द्वारा फर्द तैयार की गयी थी। फर्द पर मेरे व हमराही कर्मचारीगण के हस्ताक्षर बनवाकर एस.ओ. श्री सुभाष चन्द्र यादव द्वारा अपने हस्ताक्षर बनाये गये थे। फर्द की एक प्रति अभियुक्त रोहित को दी गई थी। फर्द पर अभियुक्त रोहित के भी हस्ताक्षर बनवाये गये थे। साक्षी द्वारा एस.टी.नम्बर 130/2016 राज्य प्रति रोहित सिंह धारा 3/25 A.Act मु.अ.सं. 91/2016 थाना कुरारा की पत्रावली में लगे कागज संख्या 5 क फर्द बरामदगी को देखकर कहा यह वही फर्द हैं जो मौके पर तैयार की गई थी। साक्षी द्वारा फर्द पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की गई। अभियुक्त कुंवरपाल की निशांदेही पर अभियुक्त के बताये हुये स्थान नेठी जंगल में घनी झाड़ियों से अभियुक्त कुंवरपाल द्वारा एक काली पोलीथीन में लिपटी हुई एक अदद देशी बन्दूक 315 बोर, एक अदद बी.बी.बी.एल. गन फैक्ट्री मेड नम्बर घिसा हुआ, दो अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर व चौदहा अदद खोखा कारतूस 315 बोर निकाल कर दिया गया था। वहीं मौके पर एस.आई. श्री बलबीर सिंह को बोल बोलकर एस.ओ. श्री सुभाष चन्द्र यादव द्वारा फर्द तैयार की गयी थी। फर्द पर मेरे व हमराही कर्मचारीगण के हस्ताक्षर बनवाकर एस.ओ. श्री सुभाष चन्द्र यादव द्वारा अपने हस्ताक्षर बनाये गये थे। फर्द की एक प्रति अभियुक्त कुंवरपाल को दी गई थी। फर्द पर अभियुक्त कुंवरपाल के भी हस्ताक्षर बनवाये गये थे। साक्षी द्वारा एस.टी. नम्बर 131/2016 राज्य प्रति कुंवरपाल धारा 3/25 A.Act मु.अ.सं. 92/2016 थाना कुरारा की पत्रावली में लगे कागज संख्या 5 क फर्द बरामदगी को देखकर कहा यह वही फर्द है जो मौके पर तैयार की गई थी। साक्षी द्वारा फर्द पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की गई थी, का उल्लेख अंकित किया गया। पर्चा न० 14 दिनांक 24.04.2016 को किता किया था जिसमें पतारसी व सुरागरसी शेष अभियुक्तगण अंकित किये थे। पर्चा न० 15 दिनांक 04.05.2016 को किला किया था जिसमें अभियुक बरामदगी का उल्लेख प्रेमचन्द्र व महेश की गिरफ्तारी अभियुक्तगण से अंकित है। पर्चा न० 16 दिनांक 05.05.2016 को किता किया था जिसमें अभियुक्त गोपाल कुशवाहा की गिरफ्तारी व अभियुक्त महेश व प्रेमचन्द्र व गोपाल को माननीय न्यायालय में पेशकर रिमाण्ड लिये जाने का विवरण अंकित है। पर्चा न० 17 दिनांक 06.05.2016 को किता किया था जिसमें मजरूब नरेन्द्र के मेडिकल का उल्लेख अंकित किया था। पर्चा न० 18 दिनांक 09.05.2016 को किता किया था जिसमें साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त 1. रोहित 2. कुवंरपाल 3. प्रेमचन्द्र 4. महेश यादव 5. गोपाल कुशवाहा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 147, 148, 308 I.P.C. में आरोपपत्र संख्या 64/2016 किता कर प्रेषित किया था तथा अभियुक्त दीपक पुत्र रामसागर के विरूद्ध विवेचना प्रचलित रखी गई थी। साक्षी ने पत्रावली में शामिल कागज संख्या 3 क/01 लगायत 3 क 11 आरोपपत्र देखकर कहा यह वही आरोपपत्र है जो मैंने अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित किया था। साक्षी ने आरोपपत्र के अन्त में बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। आरोपपत्र 3क पर प्रदर्श क–10 डाला गया। एस.सी.डी. नं० 01 दिनांक 17.05.2016 को किता किया था जिसमें पतारसी अभियुक्त दीपक पुत्र रामसागर का विवरण अंकित किया था। एस.सी.डी. नं० 02 दिनांक 24.05.2016 को किता किया था जिसमें पतारसी अभियुक्त दीपक पुत्र रामसागर का विवरण अंकित किया था। एस.सी.डी. नं० 03 दिनांक 25.05.2016 को किता किया था जिसमें पतारसी अभियुक्त दीपक पुत्र रामसागर का विवरण अंकित किया था। एस.सी.डी. नं० 04 दिनांक 26.05.2016 को किता किया था जिसमें अभियुक्त

दीपक के विरूद्ध माननीय न्यायालय से 82 Cr.P.C. हेतु आवेदन का विवरण अंकित किया गया था। एस.सी.डी. नं० 05– दिनांक 06.06.2016 को किता किया था जिसमें पतारसी व सुरागरसी अभियुक्त दीपक पुत्र रामसागर का विवरण अंकित किया था। एस.सी.डी. नं० 06 दिनांक 28.06.2016 को किता किया था जिसमें पतारसी व सुरागरसी अभियुक्त दीपक पुत्र रामसागर का विवरण अंकित किया था। एस.सी.डी. नं० 07 दिनांक 13.07.2016 को किता किया था जिसमें पतारसी व सुरागरसी अभियक्त दीपक पुत्र रामसागर का विवरण अंकित किया था। एस.सी.डी. नं० 08 दिनांक 18.07.2016 को किता किया था जिसमें अभियुक्त दीपक के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 82 C.R.P.C. उद्घोषणा पत्र जारी किये जाने का उल्लेख अंकित है। एस.सी.डी. नं० 09 दिनांक 19.07.2016 को किता किया था जिसमें अभियुक्त के घर पर अन्तर्गत धारा 82 Cr.P.C. चस्पा किये जाने का विवरण अंकित किया था। एस.सी.डी. नं० 10 दिनांक 21.08.2016 को किता किया था, जिसमें अभियुक्त दीपक के माननीय न्यायालय में हाजिर होने के पर्चा हाजिरी का विवरण अंकित किया था। एस.सी.डी. नं० 11 दिनांक 22.08.2016 को किता किया था जिसमें अभियुक्त दीपक के माननीय न्यायालय के आदेश से जिला कारागार हमीरपुर जाकर बयान दर्ज किये जाने तथा साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त दीपक के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 147,148,308 I.P.C में आरोपपत्र संख्या 64A/16 दिनांक 22.08.2016 का विवरण अंकित किया था। कागज संख्या 3 क/1 लगायत 3 क/07 आरोपपत्र देखकर कहा यह वही आरोपपत्र है जो मैंने अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित किया था। साक्षी ने आरोपपत्र के अन्त में बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। आरोपपत्र 3 क पर प्रदर्श क–11 डाला गया। मु०अ०सं० 91/2016 राज्य प्रति रोहित सिंह धारा 3/25 A.Act थाना कुरारा व मु.अ.सं. 92/2016 राज्य प्रति कुंवरपाल यादव धारा 3/25 A.Act थाना कुरारा के विवेचक द्वारा मेरे बयान लिये गये थे व मेरी निशादेही पर बरामदगी स्थलों का नक्शानजरी बनाया गया था।

16– साक्षी पी०डब्लू०–5 से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि उक्त वाद धारा 395 भा०दं०सं० में दर्ज किया गया था। जिसको मैंने साक्ष्य के आधार पर धारा 395 भा०दं०सं० का लोप किया था तथा धारा 147,148,308 भा०दं०सं० में तरमीन किया था। मैंने दौरान विवेचना साक्षीगणों के बयानों से वादी द्वारा तहरीर में दिखाये गये शराब के पाउज व रुपये लूटा जाना नहीं पाया था। मजरूब नरेन्द्र के बयान मैंने दर्ज किये थे। मजरूब नरेन्द्र ने पैसे मांगने की बात कही थी लेकिन लूट के ले जाने की पुष्टि नहीं की थी। कितना पैसा मांगा था यह नहीं बताया था। उस समय थाने के प्रभारी श्री सुभाष कुमार यादव थे तथा सुभाष कुमार यादव ने ही उक्त मुकदमें में अभियुक्त कुँवर पाल व रोहित थे। नाजायज असलहों की बरामदगी की थी। उस समय भी मैं बरामदगी के वक्त सुभाष कुमार यादव का हमराह था तथा नाजायज असलहों की बरामदगी भी मेरे सामने हुई थी। यह कहना गलत है कि प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाष कुमार यादव के प्रभाव में आकर उक्त मुकदमें की मैंने गलत विवेचना की है। असलहों की बरामदगी ग्राम नैठी के जंगलों में हुई थी। यह स्थान ग्राम नैठी से करीब 7–8 सौ मीटर पहले सड़क से दाहिने तरफ 50–60 मीटर का स्थान था, जहाँ झाड़ियाँ थी। असलहें झाड़ियों में छिपे हुये थे तथा कारतूस सहित काली पन्नी में रखे हुये थे। 315 बोर के खोखा कारतूस कितने थे याद नहीं है तथा जिन्दा कारतूस कितने थे, यह भी याद नहीं है। बरामदगी के समय रोहित व कुँवर पाल न्यायालय के आदेश से हमारी अभिरक्षा में थे। बरामदगी दिन में लगभग दस बजे हुई थी। फर्द मौके पर सुभाष कुमार द्वारा एस०आई० बलवीर सिंह से लिखाई गयी थी। बरामदगी के समय पुलिस फोर्स करीब पाँच लोग थे। दो पुलिस की गाड़ियों में थे। उस दिन थाने से लगभग 08:55 AM पर रवानगी हुई थी। वो रवानगी जी०डी० आज मेरे सामने नहीं है। यह कहना गलत है कि हम लोगों की थाने से कोई रवानगी न हुई हो। बल्कि थाने से ही नाजायज असलहें लगाकर फर्द की लिखा–

पढ़ी कर दी गयी हो। मुझे याद नहीं है कि मैंने सुभाष यादव प्रभारी निरीक्षक व एस०ओ० बलवीर के बयान लिये हैं या नहीं। नक्शा नजरी मैंने वादी की निशादेही पर मौके पर तैयार किया था। यह कहना गलत है कि मैंने वादी के प्रभाव में आकर गलत विवेचना की हो।

17– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–6 हे०कां० राजेन्द्र सिंह ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 20.02.2016 को मैं थाना कुरारा में थाना कार्यालय पर समय 23:55 बजे कार्यलेख पर मौजूद था। उसी समय वादी मुकदमा सुनील सिंह पुत्र भूरा सिंह निवासी ग्राम तिंदुही थाना मौदहा जिला हमीरपुर द्वारा दाखिल तहरीर पर थानाध्यक्ष महोदय के आदेश से मैंने मु०अ०सं० 58/2016 बनाम रोहित यादव आदि के विरूद्ध धारा 395 भा.दं.सं. में चिक एफ.आई.आर. किता की थी। उक्त चिक एफ.आई.आर. किता किये जाने का उल्लेख मैंने उसी दिन की नकल रपट नम्बर 37 पर समय 23:55 पर किया था। साक्षी ने पत्रावली में शामिल कागज संख्या 4क/1 लगायत 4क/6 देखकर कहा यह वही चिक एफ.आई.आर. संख्या है जो मैंने कम्प्यूटर पर बोल–बोलकर कां० दीपक कुमार से किता कराई थी। कागज संख्या 5क देखकर कहा यह नकल रपट नम्बर 37 समय 23:55 तारीखी 20.02.2016 की कार्बन प्रति है जो मैंने मूल जी.डी. तैयार करते समय एक ही प्रक्रम में तैयार की थी। कार्बन प्रति पर हस्तलेख मेरा है, जिसे मैं प्रमाणित करता हूं। मूल जी.डी. सन् 2016 समयावधि व्यतीत हो जाने के कारण नष्ट हो गई है। जिसका प्रमाणपत्र में पुलिस अधीक्षक कार्यालय हमीरपुर से प्राप्त कर पत्रावली में दाखिल कर रहा हूं। कागज संख्या 4क चिक एफ.आई.आर. पर प्रदर्श क–12 व कागज संख्या 5क पर प्रदर्श क–13 डाला गया। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे। दिनांक 12.04.2016 को समय 12:30 बजे मैं थाना कार्यालय कुरारा में कार्य लेख में मौजूद था। थानाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार यादव द्वारा दाखिल फर्द के आधार पर मैंने मु०अ०सं० 91/2016 बनाम रोहित सिंह यादव धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की चिक संख्या 66/2016 कम्प्यूटर पर बोल–बोलकर किता कराई थी तथा मुकदमा कायमी का हवाला उसी दिन नकल रपट नम्बर 19 पर समय 12:30 बजे पर किया था। साक्षी ने एस.टी. नम्बर 130/2016 राज्य प्रति रोहित सिंह की पत्रावली में शामिल कागज संख्या 4 क/01 लगायत 4 क/04 देखकर कहा कि यह वही चिक एफ.आई.आर. है जो मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर बोल–बोलकर किता कराई गई थी। कागज संख्या 4 क पर प्रदर्श क–14 डाला गया। इसी पत्रावली का कागज संख्या 7क को देखकर साक्षी ने कहा यह नकल रपट नम्बर 19 समय 12:30 तारीखी 12.04.2016 की कार्बन प्रति है जो मैंने मूल जी.डी. तैयार करते समय एक ही प्रक्रम में तैयार की थी। कार्बन प्रति पर हस्तलेख मेरा है, जिसे मैं प्रमाणित करता हूं। मूल जी.डी. सन् 2016 समयावधि व्यतीत हो जाने के कारण नष्ट हो गई है। जिसका प्रमाणपत्र में पुलिस अधीक्षक कार्यालय हमीरपुर से प्राप्तकर पत्रावली में दाखिल किया है। कागज संख्या 7क पर प्रदर्श क–15 डाला गया। मुल्जिम को दाखिल हवालात व माल मुकदमाती को दाखिल माल खाना किया था। इसी दिनांक 12.04.2016 को समय 15:30 बजे में थाना कार्यालय कुरारा में कार्य लेख में मौजूद था। थानाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार यादव द्वारा दाखिल फर्द के आधार पर मैंने मु०अ०सं० 92/2016 बनाम कुंवरपाल यादव धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की चिक संख्या 67/2016 कम्प्यूटर पर बोल–बोलकर किता कराई थी तथा मुकदमा कायमी का हवाला उसी दिन नकल रपट नम्बर 24 पर समय 15:30 बजे पर किया था। साक्षी ने एस.टी. नम्बर 131/2016 राज्य प्रति कुंवर पाल यादव की पत्रावली में शामिल कागज संख्या 4 क 01 लगायत 4क/04 देखकर कहा कि यह वही चिक एफ.आई.आर है जो मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर बोल–बोलकर किता कराई गई थी। कागज संख्या 4क पर प्रदर्श क–16 डाला गया। इसी पत्रावली का कागज संख्या 8क को देखकर साक्षी ने कहा यह नकल रपट नम्बर 24 समय 15:30 तारीखी 12.04.2016 की कार्बन

प्रति है जो मैंने मूल जी.डी तैयार करते समय एक ही प्रक्रम में तैयार की थी। कार्बन प्रति पर हस्तलेख मेरा है जिसे मैं प्रमाणित करता हूं। मूल जी.डी. सन् 2016 समयावधि व्यतीत हो जाने के कारण नष्ट हो गई है। जिसका प्रमाणपत्र मैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय हमीरपुर से प्राप्तकर पत्रावली में दाखिल किया है। कागज संख्या 7क पर प्रदर्श क–17 डाला गया। मुल्जिम को दाखिल हवालात व माल मुकदमाती को दाखिल माल खाना किया था। मु०अ०सं० 91/2016 व मु०अ०सं० 92/2016 के विवेचक द्वारा मेरे बयान लिये गये थे।

18– साक्षी पी०डब्लू०–6 से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि आज मैं न्यायालय में जी.डी. नम्बर 37 समय 23:55 तारीखी 20.02.2016 की मूल कापी नहीं लाया हूं क्योकि सन् 2016 की जी.डी. पुलिस रिकार्ड रूम से नष्ट की जा चुकी हैं। जी.डी. नष्ट किये जाने का प्रमाणपत्र साथ में लाया हूं। आज मैंने जो साक्ष्य दिये हैं वो पत्रावली में उपलब्ध कार्बन कापी को अवलोकित करके दिया है और जो मैंने जी.डी. साबित किये हैं वो कार्बन कापी देखकर किये हैं। वादी मुकदमा के साथ तहरीर लेखक आया था, जिसका मुझे नाम याद नहीं है। मैंने उसका नाम नहीं पूछा था। मुझे याद नहीं है कि वादी मुकदमा चुटहल था कि नहीं। मैंने उसके शरीर की चोटें नहीं देखी थी। तहरीर में वादी मुकदमा द्वारा छः हजार रूपये की लूट लिखाई गई थी। मैंने यह नहीं पूछा कि छः हजार रूपयों में कितने–कितने के नोट थे। यह कहना गलत है कि मैंने वादी मुकदमा से मिलकर अभियुक्तों के खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज किया हो।

19– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–7 उपनिरीक्षक पन्नालाल ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 12.04.2016 को थाना कुरारा जनपद हमीरपुर में बतौर उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था कि उस दिन मु०अ०सं०–58/2016 धारा 147,148,308 भा.द.सं. थाना कुरारा से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त रोहित यादव से बरामद नाजायज असलहा जात से सम्बन्धित फर्द बरामद व कायमी मुकदमा एस.ओ. सुभाष कुमार यादव वादी द्वारा दर्ज मु०अ०सं० 91/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम रोहित यादव की विवेचना मैंने ग्रहण करते हुये सी०डी० नम्बर प्रथम में उसी दिन फर्द बरामदगी व नकल रपट नम्बर 19 समय 12:30 रो०आम का तश्करा अंकित करते हुये, एफ०आई०आर० लेखक कां० राजेन्द्र सिंह व आरोपी रोहित यादव का बयान लिया था। सी०डी० नम्बर दो में दिनांक 21.04.2016 में वादी मुकदमा एस०ओ० सुभाष कुमार यादव व उनके हमराहीगण एस०आई० सुरेन्द्र सिंह, एस०आई० बलबीर सिंह, एस०सी०पी० हरीलाल, कां० अवधेश कुमार, कां० राजेन्द्र सिंह, कां० जयप्रकाश, कां० अमीरूलहक के बयान लिये थे। सी०डी० नम्बर तीन में दिनांक 06.05.2016 को एस०सी०पी० नफीस अहमद तथा एस०आई० सुरेन्द्र सिंह की निशांदेही पर घटना बरामदगी स्थल का नक्शानजरी मौके पर जाकर बनाया था। पत्रावली एस.टी. नम्बर 130/2016 बनाम रोहित सिंह यादव धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुरारा की पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 11क नक्शानजरी को देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की तथा कहा यह वही नक्शानजरी है जो मैंने बर्वक्त विवेचना अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था जिसपर प्रदर्श क–18 डाला गया तथा सी.डी. नम्बर चार में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त रोहित यादव पुत्र स्व० वीर सिंह निवासी ग्राम पतारा के विरूद्ध आरोपपत्र संख्या 57/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का आरोपपत्र नियमानुसार अभियोजन स्वीकृति लेते हुये, न्यायालय प्रेषित किया था। उक्त पत्रावली में संलग्न अभियोजन स्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर दिनांकित 11.05.2016 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह अभियोजन स्वीकृति मैंने नियमानुसार प्राप्त किया था। जिस पर प्रदर्श क–19 डाला गया। पत्रावली में संलग्न मूल आरोपपत्र कागज संख्या 3क/01 आरोपपत्र संख्या 57/2016 दिनांकित 07.05.2016 को देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की

पहचान की तथा कहा कि यह आरोपपत्र मैंने नियमानुसार कम्प्यूटर आपरेटर से तैयार कराकर नियमानुसार न्यायालय प्रेषित किया था, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–20 डाला गया। तत्पश्चात दिनांक 12.04.2016 को सी०डी० नम्बर प्रथम में मु०अ०सं० 58/2016 धारा 147,148,308 भा.द.सं. से संबंधित वांछित अभियुक्त कुंवर पाल यादव पुत्र ओमकार यादव निवासी ग्राम पतारा थाना कुरारा से बरामद एक अदद देशी रायफल 315 बोर व एक अदद डी.बी.बी.एल. गन फैक्ट्री मेड व दो अदद जिन्दा कारतूस बारह बोर व एक अदद खोखा कारतूस बारह बोर व चौदह अदद खोखा कारतूस 315 बोर की बरामदगी के उपरान्त मु०अ०सं० 92/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुरारा बनाम कुंवरपाल सिंह यादव बमुद्दइत एस.ओ. सुभाष कुमार यादव की विवेचना करते हुये सी०डी० नम्बर प्रथम में नकल फर्द बरामदगी, कायमी नकल रपट नम्बर 24 समय 15:30 का विवरण दर्ज करते हुये एफ.आई.आर. लेखक कां० राजेन्द्र सिंह का बयान लिया था। आरोपी कुंवर पाल का भी बयान लिया था। सीडी नम्बर दो दिनांकित 21.04.2016 में वादी मुकदमा एस०ओ० सुभाष कुमार यादव, एस.आई. सुरेन्द्र सिंह, एस.आई. बलबीर सिंह, एच.सी.पी. हरीलाल, कां० अवधेश कुमार, कां० राजेन्द्र सिंह, कां० जयप्रकाश, कां० अमीरूलहक के बयान लेकर दर्ज केशडायरी किये थे। सीडी नम्बर तीन दिनांक 06.05.2016 में एच.सी.पी. नफीस अहमद के बयान अंकित करते हुये हमराही एस.आई. सुरेन्द्र सिंह की निशादेही पर बरामदगी घटनास्थल का नक्शानजरी बनाया था तथा उसका तस्करा दर्ज केशडायरी किया था। पत्रावली एस.टी. नम्बर 131/2016 राज्य प्रति कुंवरपाल यादव धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुरारा मु०अ०सं० 92/2016 में संलग्न कागज संख्या 12 क को देखकर साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान की जिसपर क्रमशः प्रदर्श क–21 डाला गया। सीडी नम्बर चार दिनांक 07.05.2016 में अभियुक्त कुंवरपाल के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपपत्र संख्या 58/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुरारा में अभियोजन स्वीकृति देते हुये नियमानुसार कम्प्यूटर आपरेटर से मूल आरोप तैयार कराकर न्यायालय प्रेषित किया था। पत्रावली में संल्गन कागज संख्या 6 क अभियोजन स्वीकृति तथा मूल आरोपपत्र संख्या 58/2016 कागज संख्या 3 क/01 लगायत 3 क/05 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही अभियोजन स्वीकृति है जिसे मैंने जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर से नियमानुसार प्राप्त करते हुये न्यायालय प्रेषित किया था जिन पर क्रमशः प्रदर्श क–22 व प्रदर्श क–23 डाला गया। न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित कर विवेचना समाप्त की थी।

20– साक्षी पी०डब्लू०–7 से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि रवानगी जी०डी० आज मेरे सामने नहीं है। रोहित यादव की अभियोजन स्वीकृति लेते समय माननीय जिलाधिकारी के समक्ष बरामदगी माल खोला गया था। उसमें जो फर्द में लिखा गया था वही सब सामान था। देशी राईफल 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 व 5 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, राईफल चालू हालत में थी। अभियुक्त कुंवर पाल से बरामद अभियोजन स्वीकृत के समय जिलाधिकारी महोदय के सामने खोला गया था जिसमें एक अदद देशी राईफल 315 बोर, एक अदद डी०बी०बी०एल० गन फैक्ट्री मेड नम्बर घिसा हुआ, दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 14 अदद खोखा कारतूस 315 बोर अवैध थे। 12 बोर का कोई खोखा कारतूस का ध्यान नहीं है। अभियोजन स्वीकृति के समय वादी मुकदमा मौजूद नहीं थे। सर्व मुहर माल मेरे द्वारा ले जाया गया था। घटनास्थल का नक्शा नजरी बरामदगी के लगभग एक माह के अन्दर मैंने बनाया था, जो दिनांक 06.05.2016 को बनाया गया था। एस०आई० सुरेन्द्र सिंह के बयान मेरे द्वारा दिनांक 21.04.2016 को लिया गया था तथा उसी दिन एस०ओ० सुभाष कुमार यादव का भी बयान लिया गया था। जिस स्थान में रोहित यादव से अवैध असलहा एवं कारतूस बरामद हुए थे। वह स्थान मैंने नक्शे में X संकेत से प्रदर्शित किया है तथा अभियुक्त कुंवरपाल यादव

से बरामद अवैध असलहा भी मेरे द्वारा नक्शा नजरी में X संकेत से प्रदर्शित किया गया है। दोनों अभियुक्तों के द्वारा बरामदगी का स्थान थोड़ी–थोड़ी दूर पर है, परन्तु मेरे द्वारा सहबन एक ही स्थान दिखा दिया गया है। इन दोनों बरामदगी का स्थल के बीच का अन्तर मेरे द्वारा नक्शे में नहीं दिखाया गया है।

21– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–8 निरीक्षक सुभाष कुमार यादव ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 12.04.2016 को थाना कुरारा में एस.ओ. के पद पर तैनात था। इसी दिन मैं मय हमराही सुरेन्द्र सिंह, एस.आई. बलबीर सिंह, एच.सी.पी. हरीलाल, एच.सी.पी. नफीस अहमद, कां० अवधेश कुमार, कां० राजेन्द्र सिंह, कां० जयप्रकाश, कां० अमीरूलहक के मय जीप सरकारी चालक संतोष कुमार पाण्डेय के साथ थाना हाजा से बहवाले रपट नं० 14 समय 08:55 बिनावर उम्मीद बरामदगी सम्बन्धित मु०अ०सं० 58/2016 धारा–147,148,308 भा.द.सं. थाना कुरारा से सम्बन्धित घटना में प्रयुक्त असलहे में अभियुक्त रोहित यादव पुत्र स्व० वीरसिंह निवासी ग्राम पतारा थाना कुरारा जिला हमीरपुर जो न्यायालय श्रीमान् सी.जे.एम. महोदय हमीरपुर द्वारा कस्टडी प्राप्त कर रिमाण्ड पर आया है। जिसको साथ लेकर रवाना होकर आशनाये राह गवाहान फराहम करने का प्रयास किया गया तो कोई भी व्यक्ति भलाई बुराई के कारण तैयार नहीं हुआ। अभियुक्त के बताये स्थान नेठी जंगल में घनी झाड़ियों के पास आये तो अभियुक्त साथ में आगे आगे चलकर घनी झाड़ियो से एक काले रंग की पालीथीन में लिपटी हुई एक अदद देशी बन्दूक बारह बोर, एक अदद देशी बन्दूक 315 बोर व एक अदद अद्धी देशी 315 बोर व एक अदद फ्रैक्टरी मेड बन्दूक बारह बोर नम्बर घिसा हुआ निकाल कर दिया और बताया कि इन्ही बंदूकों व राइफलों से मैंने व मेरे साथियों ने देशी शराब ठेका के सेल्स मैन को मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाकर मरणासन्न कर दिया था। जिनको मैंने इसी घनी झाड़ी में पालीथीन में लपेटकर छिपाकर रख दिया था। बरामद असलहे व कारतूस को कब्जा पुलिस में लेकर जिसमें दो कारतूस जिन्दा 315 बोर व पांच अदद खोखा कारतूस 315 बोर, दो जिन्दा कारतूस बारह बोर व दो अदद खोखा कारतूस रंग एक लाल व एक मटमैला बारह बोर, एक अदद फैक्ट्ररी मेड बारह बोर बन्दूक जिसके बट में काले रंग रैक्सीन का खोल लगा है। खौल में दो अदद कारतूस बारह बोर व रंग लाल जिसमें एक गोली व एक ब्लैक है, एक अदद अद्धी 315 बोर देशी उक्त चारों असलहे चालू हालत में है। अभियुक्त से बरामद अवैध असलहां रखने का लाइसेंस तलब किया गया तो नहीं दिखा सका। अभियुक्त को उसके जुर्म धारा 3/25 आयुध अधिनियम से अवगत कराया गया। उपरोक्त बरामद चारों असलहों व कारतूसों व खोखा कारतूसों को उसी काले रंग की पालीथीन में लपेटकर एक सफेद कपड़े में रखकर सिलकर सर्व सील मुहर कर तैयार किया गया। फर्द मौके पर तैयार किया गया। अभियुक्त व सभी हमराहियान के हस्ताक्षर बनवाये गये उक्त फर्द मैंने एस.आई. बलबीर सिंह से बोल–बोलकर मौके पर ही लिखवाई थी। पत्रावली के साथ संलग्न समेकित पत्रावली एस.टी. नम्बर 130/2016 राज्य प्रति रोहित सिंह अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम मु.अ.सं. 91/2016 थाना कुरारा जिला हमीरपुर पर लगी फर्द कागज संख्या 5 क को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही फर्द है जिस पर मैंने अपने हस्ताक्षर बनाये थे और हमराहियान पुलिसजनों और अभियुकत रोहित सिंह का नियमानुसार अलामात बनवाये थे, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 5 क पर प्रदर्श क–24 डाला गया। अभियुक्त रोहित की गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर नियमानुसार तैयार की गयी थी, जो पत्रावली में शामिल कागज संख्या 8 क है, जिसमें मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–25 डाला गया तथा एस.टी.नं. 129/2016 मु.अ.सं. 58/2016 थाना कुरारा अन्तर्गत धारा धारा–147,148,308 भा.द.सं राज्य प्रति रोहित यादव आदि से सम्बन्धित पत्रावली एस.टी. नं० 131/2016 राज्य प्रति कुंवर पाल यादव धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कुरारा

मु०अ०सं० 92/2016 फर्द बरामदगी से सम्बन्धित एक अदद देशी राइफल 315 बोर, एक अदद डी०बी०बी०एल० गन फैक्ट्री मेड नम्बर घिसा हुआ व दो अदद जिन्दा कारतूस बारह बोर, एक अदद खोखा कारतूस बारह बोर व चौदह अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज सम्बन्धित मु.अ.सं. 58/2016 धारा 147,148,308 भा.द.वि. अन्तर्गत थाना कुरारा जिला हमीरपुर के सम्बन्ध में मैं दिनांक 12.04.2016 को एस.आई. सुरेन्द्र सिंह, एस.आई. बलबीर सिंह, एस.सी.पी. हरि लाल, एस.सी.पी. नफीस अहमद, कां. अवधेश कुमार, कां० राजेन्द्र सिंह, कां० जयप्रकाश, कां० अमीरुलहक मय जीप सरकारी चालक संतोष कुमार पाण्डेय रपट नम्बर 20 समय 12:35 पी.एम. उम्मीद बरामदगी सम्बन्धित मु०अ०सं० 58/2016 से सम्बन्धित घटना प्रयुक्त असलहा अभियुक्त कुंवरपाल यादव पुत्र ऑमकार यादव निवासी ग्राम पतारा थाना कुरारा जिला हमीरपुर जो मा० न्यायालय सी.जे.एम. हमीरपुर द्वारा प्राप्त कस्टडी रिमाण्ड में आया है, को साथ लेकर रवाना होकर गवाहान फराहम करने का प्रयास किया तो कोई व्यक्ति भलाई–बुराई के कारण तैयार नहीं हुआ। अभियुक्त के बताये गये स्थान में नेठी जंगल में घनी झाड़ियों के पास पहुंचे तो अभियुक्त साथ में आगे आगे चलकर घनी झाड़ियों से एक काले रंग की पालीथीन में लिपटी हुयी एक अदद देशी राइफल 315 बोर व एक अदद डी.बी.बी.एल. गन फैक्ट्री मेड जिसके नम्बर घिसे हुये हैं। अभियुक्त कुंवरपाल ने निकाल कर दिया और बताया कि साहब इसी राइफल व दोनालियों से मैंने व मेरे साथियों ने मिलकर देशी शराब ठेका दुकान झलोखर में सेल्समैन नरेन्द्र सिंह को बटों से मारपीटकर गम्भीर चोट पहुंचाकर मरणासन्न कर दिया था जिनको मैंने इसी घनी झाड़ी में पालीथीन में लपेटकर छिपाकर रख दिया था तथा समय करीब 13:40 बजे बरामद असलहा व कारतूस कब्जा पुलिस में लेकर हुलिया दर्ज की गयी। बारह बोर डी.बी.बी.एल. बन्दूक के बट में लगे मटमैले रंग का खोल लगा था खोल में दो अदद कारतूस जिन्दा बारह बोर जिसमें एक सफेद रंग व एक मटमैला रंग का है व एक खोखा कारतूस बारह बोर मटमैले रंग डी.बी.बी.एल. चालू हालत में है तथा एक अदद रायफल देशी 315 बोर उक्त राइफल चालू हालत में है तथा राइफल में एक सफेद पालीथीन में चौदह अदद खोखा कारतूस 315 बोर बंधे हैं। अभियुक्त को जुर्म धारा 3/25 आयुध अधिनियम के बारे में अवगत कराया गया तथा मौके पर बरामद उक्त दोनो असलहों, कारतूसों व खोखों को उसी काले रंग की पालीथीन में लेपटकर एक कपड़े में रखकर सिलकर सर्व सील मुहर किया गया। मौके पर ही हमराही बलबीर सिंह को बोल–बोलकर फर्द लिखाई थी व अभियुक्त के निशानी अंगूठा बनवाये थे तथा सभी हमराहियान व मैंने स्वयं अपने हस्ताक्षर बनाये थे, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 5क मूल फर्द है, जिस पर प्रदर्श क–26 डाला गया। उक्त मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त कुंवरपाल की गिरफ्तारी भी मैंने की थी। पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 9क गिरफ्तारी प्रपत्र है, जिस पर मैंने व हमराहियान अभियुक्त ने हस्ताक्षर बनाये थे। गिरफ्तारी प्रपत्र 9क पर प्रदर्श क–27 डाला गया। घटना के सम्बन्ध में विवेचक ने मेरा बयान लिया था। इस स्तर पर थाना कुरारा के मालखाना से एक अदद सफेद कपड़े में सील बन्द बण्डल जिसके पृष्ठ पर एक अदद देशी बन्दूक बारह बोर व एक अदद देशी बन्दूक 315 बोर, एक अदद अद्धी देशी 315 बोर, एक अदद फैक्ट्री मेड बन्दूक बारह बोर नम्बर घिसा हुआ, चार अदद जिन्दा कारतूस बारह बोर, दो अदद खोखा कारतूस बारह बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व पांच अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज सम्बन्धित मु०अ०सं० 91/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम रोहित यादव अंकित है, जिसमें साक्षी व अभियुक्त रोहित सिंह के हस्ताक्षर बने हुये हैं, प्राप्त हुआ जो कि न्यायालय की अनुमति से खोला गया। उसके अन्दर से काली पालीथीन में लिपटे हुये 1. एक अदद देशी रायफल निकली, जिसके बट के कवर में दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व पांच अदद खोखा कारतूस निकले जिस पर वस्तु प्रदर्श क–01 व वस्तु प्रदर्श क–02 डाला गया तथा 2. एक अदद अद्धी 315 बोर निकली जिसे देखकर साक्षी ने

कहा कि यह चालू हालत में है जो मैंने मौके पर अभियुकत की निशांदेही पर बरामद की थी जिसपर वस्तु प्रदर्श–3 डाला गया। 3. एक अदद देशी बारह बोर बन्दूक निकली जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि यह चालू हालत में है उसके बट में लगे कवर में दो अदद जिन्दा कारतूस व दो अदद खोखा कारतूस बारह बोर के निकले जिनपर क्रमशः वस्तु प्रदर्श–4 व वस्तु प्रदर्श–5 डाला गया। 4. एक अदद फैक्ट्री मेड एक नाली बन्दूक निकली जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि नम्बर घिसा हुआ है। बट के कवर में दो अदद जिन्दा कारतूस लगे हुये हैं जिस पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श क–6 व वस्तु प्रदर्श क–7 डाला गया तथा एक अदद सील बन्द बण्डल जिसकी पुस्त पर एक अदद डी.बी.बी.एल. फैक्ट्री मेड गन जिसका नम्बर घिसा हुआ व एक अदद देशी राइफल 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस बारह बोर व एक अदद खोखा कारतूस बारह बोर व चौदह अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज सम्बन्धित मु०अ०सं० 92/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम कुंवरपाल जिसपर साक्षी ने पहले अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की तथा कहा कि इसपर अभियुक्त कुंवरपाल के बरवक्त बरामदगी हस्ताक्षर बनवाये थे। 1. न्यायालय की अनुमति से खोला गया उसके अन्दर से काली पालीथीन में उसके अन्दर से एक अदद देशी राइफल 315 बोर निकली तथा उसके साथ में चौदह अदद खोखा कारतूस 315 बोर निकले जिनपर क्रमशः वस्तु प्रदर्श क–08 व वस्तु प्रदर्श क–09 डाला गया तथा 2. एक अदद बारह बोर डी.बी.बी.एल. गन फ्रैक्ट्री मेड निकली उसी के बट के कवर में दो अदद जिन्दा कारतूस बारह बोर व एक अदद खोखा कारतूस बारह बोर निकाला जिन पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श क–10 व वस्तु प्रदर्श क–11 डाला

22– साक्षी पी०डब्लू०–8 से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि बरामदशुदा डी.बी.बी.एल. जो आज मेरे सामने है, यह अभियुक्त कुंवरपाल से बरामद हुई है। यह बन्दूक फैक्ट्री मेड है तथा लाइसेन्सी है। यह मैंने अभियुक्त कुंवरपाल से नहीं पूछा था यह किसकी बन्दूक है और इसका लाइसेन्स किसके नाम था। जिस समय डी.बी.बी.एल. बरामद हुई थी, उसमें उसके बट में रैक्सीन का कवर लगा था तथा जो दो जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस लगे हुये है, इसी स्थिति में बरामद हुई थी। जिस समय बन्दूक डी.बी.बी.एल. बरामद हुई थी मैंने बन्दूक खोलकर देखा था। उस समय नाल में कोई खोखा नहीं था। मैंने नाल को सूंघकर देखा था। बारूद की गंध नहीं आ रही थी। मैं बन्दूक की नाल को देखकर व सूंघकर यह नहीं बता सकता कि इस बन्दूक से कितने दिन पहले फायर हुआ था। मुझे यह याद नहीं है कि घटना के कितने दिनों बाद मैंने डी.बी.बी.एल. बन्दूक की बरामदगी की थी। बरामदशुदा राइफल 315 बोर देशी है चालू हालत में है। यह कहना गलत है कि राइफल टूटी हुयी व चालू हालत में नहीं है। यह बात सही है कि राइफल का बट लोहे की पत्ती से जड़ा हुआ है लेकिन टूटा हुआ नहीं है, हिलता है तथा जंग लगी हुयी है तथा उस समय राइफल के बट में एक सफेद पालीथीन में चौदह खोखा कारतूस बंधे हुये हैं। इस पालीथीन में कोई जिन्दा कारतूस नहीं हैं। आज मेरे सामने एक फैक्ट्री मेड एस.बी.बी.एल. और एक देशी एस.बी.बी.एल. व एक देसी राइफल व एक 315 बोर अद्धी रखी हुयी है। 315 बोर अद्धी की लंबाई कितनी है, मुझे याद नहीं है। फैक्ट्री मेड एस.बी.बी.एल. मे दो जिन्दा कारतूस लगे हुये हैं तथा देशी एस.बी.बी.एल. में दो जिन्दा व दो खोखा कारतूस लगे हुये हैं जो बरामदगी के समय लगे थे तथा देशी राइफल मे दो जिन्दा तथा पांच खोखा कारतूस लगे हुये हैं। ये असलहे सभी अभियुक्त रोहित यादव से नेठी के जंगल में झाड़ियों से बरामद कराया था। जो नेठी गांव से करीब आठ सौ मीटर या एक किलोमीटर दूर किस दिशा में बरामदगी हुयी थी, इस समय मुझे याद नहीं है। रोहित व कुंवरपाल जिला कारागार हमीरपुर मे बंद थे। यह मु०अ०सं० 58/2016 थाना कुरारा में बंद थे। इस मुकदमे का विवेचक मैं नहीं था और न ही मैने मु०अ०सं० 58/2016 में दोनो मुल्जिमानो के धारा 161 सी०आर०पी०सी० के बयान दर्ज किये थे। इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड उस मुकदमे के विवेचक द्वारा मांगा गया था और न्यायालय द्वारा

कुछ शर्तों के साथ स्वीकार कर दिया गया था। मुझे याद नहीं है कि जिला कारागार हमीरपुर से मैने अपनी कस्टडी में मुल्जिमों को लिया था या नहीं। मु०अ०सं० 58/2016 में मुल्जिमान के बयान जो विवेचक ने दर्ज किये थे वह मैंने पढ़े था या नही, मुझे याद नहीं लेकिन मु०अ०सं० 58/2016 की प्र०सू०रि० मेरी मौजूदगी में लिखी गयी थी। उक्त मुकदमे की विवचेना एस०आई० सुरेन्द्र सिंह द्वारा की गयी थी। वह मेरे मातहत थे तथा मेरे द्वारा पर्चे सीन किये जाते थे तथा उक्त मुकदमे की विवेचना मेरे द्वारा निर्देशित नहीं की जाती थी तथा समय–समय पर विवेचक को उपरोक्त संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश दिये जाते है। मुझे याद नहीं कि उक्त मुल्जिमान को जिला कारागार से पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया गया था। मुझे याद नहीं कि मैं ही जिला कारागार मुल्जिान को लेने गया था या नहीं, विवेचक द्वारा पूरी कार्यवाही की गई थी। मुझे याद नहीं कि अभियुक्तगण को कितने बजे जिला कारागार से थाना कुरारा दाखिल किया गया था। मुझे याद नहीं कि थाने में कितनी देर रुका था। लेकिन समय 8:55am पर बरामदगी हेतु लेके चला गया था। बरामदगी स्थल पर कितनी देर रहे थे, यह याद नहीं है लेकिन लिखापढ़ी करने के बाद थाने आए थे। जो भी लिखापढ़ी बरामदगी से संबंधित थी, वह घटनास्थल पर ही की गई थी। थाने पर आकर कोई लिखापढ़ी या प्रपत्र तैयार नहीं किया गया था। बरामदगी से संबंधित सभी कार्यवाही घटनास्थल पर ही की गई थी। थाने से निकलने के बाद जैसे ही पतारा रोड पर मुड़े वैसे ही जनता के गवाह लेने का प्रयास किया था, परन्तु कोई तैयार नहीं था। जिनसे गवाह बनने के लिए कहा था, उनके नाम पते फर्द में नहीं लिखे क्योकि उन्होने नाम पते बताने से इंकार कर दिया था, क्योंकि वह खूंखार अपराधी था। ग्राम पतारा में चौकीदार है। उनको मैंने बरामदगी का गवाह नहीं बनाया क्योंकि वह लोग बाहर गये हुए थे। मुझे आज याद नहीं है कि नेठी गांव थाना कुरारा से कितनी दूर है। नेठी ग्राम पतारा से कितनी दूर है, मुझे याद नहीं है। मुझे यह भी नहीं मालूम कि नेठी के जंगल का विस्तार कहां से कहां तक है। इस पुलिस बरामदगी से पहले कोई और बरामदगी मैंने नेठी के जंगल में नहीं की थी। मुझे नहीं मालूम कि मेरे थाना कुरारा से अधिकांश बरामदगियां इसी नेठी के जंगल से दिखाई जाती थी। जिस जगह हम लोगो ने गाड़ी खड़ी की थी, वह रोड जंगल से बाहर थी, जहां तक गाडी जा सकती थी। वह कच्चा रास्ता था और कहां जाता था, मुझे याद नहीं है। मुझे याद नहीं कि इस रास्ते के दोनों तरफ जंगल थे या एक तरफ जंगल था। मुझे याद नहीं कि इसी बरामदगी स्थल से क्योटरा की तरफ रास्ता जाता है या नहीं। इस जंगल में बजरंगबली का मंदिर है, किस तरफ मुझे याद नहीं है। बरामदगी स्थल से बजरंग बली का मंदिर कितनी दूर है मुझे याद नहीं है। बरामदगी स्थल के आस पास आबादी नहीं है। गाड़ी जहां खड़ी की थी, वहां से अभियुक्त पैदल काफी दूर ले गया था। मैं अंदाज से दूरी नहीं बता सकता हूं। जीप में ड्राइवर को छोड़कर सभी हमराही मेरे साथ बरामदगी स्थल पर गये थे। मुझे याद नहीं है कि नेठी गावं से जंगल लगा है या नहीं। नेठी गांव के लोग शौच क्रिया करने या लकड़ी काटने जंगल में जाते है। मुझे नहीं मालूम की नेठी के जंगल में जंगल विभाग के कर्मचारियो की ड्यूटी लगती है या नहीं। हम लोग लगभग 9:45 बजे बरामदगी स्थल पहुंच गये थे। अभियुक्त ने जमीन पर पड़ी हुई काली पालीथीन में से सभी बरामदशुदा असलहे निकाल कर दिये थे। सारी लिखापढ़ी जहां से बरामदगी हुई थी, उसी जगह घटनास्थल से की थी। फर्द में व अन्य प्रपत्रो में कोई लिखा पढी थाने में नहीं की गयी थी। प्रदर्श क–25 गिरफ्तारी मेमो में सिर्फ मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरे हमराहीयान के हस्ताक्षर सहबन रह गये है। मुल्जिम द्वारा क्या बरामदगी कराई गई थी, उसका उल्लेख फर्द में है, मेमो में नही है। फर्द मैने बोलकर एस०आई० बलबीर सिंह से लिखवाई थी। जो भी कारतूस बरामद हुए थे, वह सब राइफल व बंदूक में लगे हुए थे। बरामदशुदा असलहो को बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेजा गया था या नहीं, यह मेरा विषय नही था, यह विवेचक का विषय है। मुझे याद नहीं कि मैंने विवेचक को उक्त असलहो की जांच के लिए बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेजने का आदेश दिया या नहीं। यह कहना गलत है कि उक्त असलहे

चालू हालत में न रहे हो और मुल्जिम द्वारा बरामद न कराए गये हो तथा गलत बरामदगी दिखाई हो। उसी दिन मैंने अभियुक्त कुंवर पाल से भी उसी के द्वारा निकाल कर दिये गये असलहो की बरामदगी उसके द्वारा बताए गए स्थान से की थी। कुंवर पाल को भी पी०सी०आर० में न्यायालय द्वारा थाना कुरारा के विवेचक को दिया गया था। कुंवर पाल को जेल से कितने बजे थाना कुरारा लाया गया था, मुझे याद नहीं है। कुंवरपाल को भी उन्ही हमराहियान के साथ बरामदगी स्थल पर लेकर आया था, जो रोहित सिंह की बरामदगी के समय मेरे साथ रहे थे। कुंवरपाल व रोहित का बरामदगी स्थल नेठी के जंगल में अलग–अलग स्थान पर था। दोनो के बीच की दूरी मैं आज नहीं बता सकता हूँ। कुंवरपाल को लेकर थाना कुरारा से 12:35 पर चला था। मुझे याद नहीं कि कुंवर पाल से बरामदगी के समय गाड़ी उसी समय खड़ी की गयी थी। मैं नहीं बता सकता की बरामदगी स्थल से जीप की दूरी कितनी थी न ही दिशा बता सकता हूं। मुझे याद नहीं कि इस बरामदगी स्थल पर कितने समय रहा था। लिखापढ़ी बरामदगी स्थल पर ही हुई थी। लिखापढ़ी हमने बैठकर की थी। गिरफ्तारी मेमो घटनास्थल पर ही तैयार किया गया था। इस पर हमराहियो के हस्ताक्षर नहीं है। मुल्जिम द्वारा बरामद किये गये असलहो का विवरण स्पष्ट नहीं है। बरामदगी स्थल के नक्शे मैंने नहीं बनाए थे। एस०आई० श्री सुरेन्द्र सिंह की निशादेही पर बनाए गये थे। बरामदगी स्थल पर में विवेचक के साथ नहीं गया था। मेरा बयान विवेचक ने दिनांक 21.04.2016 को लिया था। कुंवर पाल से बरामदशुदा असलहों को प्रक्षेपकीय वैज्ञानिक के पास निरीक्षण हेतु भेजा गया था या नहीं मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि असलहे चालू हालत में न रहे हो इसलिए परीक्षण हेतु नहीं भेजे गये। दोनो मुल्जिमानो से बरामद फैक्ट्री मेड असलहे बरामद हुए थे। इस संबंध में विवेचक द्वारा कोई जानकारी करने का प्रयास किया गया या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। कुंवर पाल द्वारा कराई गई, बरामदगी का भी कोई जनसाक्षी नहीं है। कुंवरपाल के संबंध में जनसाक्षी लेने का मैंने प्रयास किया था किंतु कोई राजी नहीं हुआ। फर्द में मैंने उन साक्षियो के नाम अंकित नहीं किये थे क्योकि उन्होने नाम नही बताए थे। दोनो मुल्जिमानो की बरामदगी के बाद थाने में वापसी की जी०डी० मेरे द्वारा लिखी गयी थी। घटनास्थल से कोई भी सिपाही मुझसे अलग नहीं हुआ था। जितने हमराही कर्मचारी मेरे साथ गये थे, वह सभी मुल्जिम के साथ वापस आए थे। रोहित की बरामदगी करके थाने वापस आने पर लगभग 5–10 मिनट रुका था व वापस कुंवर पाल को लेकर बरामदगी हेतु रवाना हो गया था। दोनो मुल्जिमानो द्वारा असलहो की बरामदगी नेठी जंगल में कराया जाना ज्ञात था लेकिन किस जगह से बरामदगी होना है यह नहीं मालूम था।

प्रश्न– दोनो मुल्जिमानो को एक साथ न ले जाए जाने का क्या कारण था?

उत्तर– दोनो से अलग अलग स्थानो से बरामदगी होनी थी इसलिए एक साथ नहीं ले जाया गया।

मुल्जिमान से जो खोखे बरामद हुए थे, उनका विवरण मैंने फर्द में अंकित किया है। कुंवरपाल से जो खोखे बरामद हुए थे वह किस कंपनी के थे, इसकी विवरण नहीं है। दोनो मुल्जिमान से बरामद फर्दों को तैयार करने में कितना समय लगा, मुझे आज याद नहीं है। दोनो मुल्जिमानो से बरामदगी की कार्यवाही के दौरान जनता का कोई व्यक्ति गवाही के लिए नहीं आया था। मुल्जिमानो का जेल दाखिला से पहले मेडिकल परीक्षण नियमानुसार कराया गया था। जो पालीथीनो में असलहे रखे थे, उनमें कोई खरोच आदि थी या नहीं, मुझे याद नहीं है। लेकिन यह याद है कि काले रंग के थे। प्रत्येक बरामदगी में हम लोग 6–7 कर्मचारी थे। यह कहना गलत है कि कुंवरपाल व रोहित सिंह द्वारा दिनांक 12.04.2016 को नेठी के जंगल से कोई असलहा व कारतूस बरामद नहीं कराये गये। यह कहना भी गलत है कि मु०अ०सं० 58/2016 में बल देने के लिए रोहित सिंह के विरोधियों के प्रभाव से झूठी बरामदगी असलहो की दिखाई गई। यह बात सही है कि रोहित सिंह के पिता वीर सिंह पूर्व में कभी ग्राम पतारा के प्रधान रहे होंगे। मुझे याद नहीं कि उक्त मुकदमा लिखे जाने के समय रोहित की मम्मी पतारा की प्रधान थी या नहीं। रोहित के पिता वीर सिंह की हत्या हुई थी,

यह बात मुझे मालूम है। पतारा गांव में यादव व ठाकुर के बीच मे रंजिश चली आ रही है या नहीं, मुझे मालूम नहीं है। रोहित व कुंवर पाल पारिवारिक भाई है, मुझे मालूम नहीं है। यह कहना भी गलत है कि रोहित के परिवार के विरोधी पक्ष के प्रभाव में आकर मैने उक्त झूठी बरामदगिया दिखाई और इसलिए रोहित व कुंवर पाल से बरामदशुदा असलहे चालू हालत में न होने के कारण परीक्षण हेतु नहीं भेजे गये थे। यह कहना भी गलत है कि अपने द्वारा की गई गलत कार्यवाही को सही साबित करने के लिए न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूं।

23– अभियुक्तगण की परीक्षा अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गए, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया। साक्षियों का झूठी गवाही देना बताया तथा यह भी कथन किया है कि वादी के प्रभाव में आकर गलत आहत आख्या तैयार की गई हैं, गलत विवेचना की गई है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दबाव में झूठी बरामदगी दिखाई गई है। अभियुक्तगण ने बयान 313 दं०प्र०सं० में यह भी कथन किया है कि विरोधियों ने पुलिस से मिलकर झूठा मुकदमा चलवाया है तथा अपने को निर्दोष बताया है। बचाव पक्ष पक्ष को ओर से अपने बचाव में साक्षी डी०डब्लू०–1 मौजीलाल को परीक्षित कराया गया है।

24– बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी डी०डब्लू०–1 मौजीलाल पुत्र सीताराम ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं अभियुक्त महेश पुत्र दयाराम को जानता पहचानता हूँ। ये मेरे गांव का है। मेरे छोटे भतीजे का नाम राजेन्द्र है, उसकी बारात 17.02.2016 को समय 04 बजे दिन में ग्राम कमासिन जिला बांदा गई थी। महेश यादव मेरे भतीजे की बारात में गया था तथा दूसरे दिन 18.02.2016 को 2 बजे दिन वापस बारात से लौटकर आया था। महेश पूरी रात मेरे साथ शादी में रहा था। महेश को उपरोक्त वाद में झूठा व गलत नामजद किया गया है।

25– उक्त साक्षी से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि रोहित गांक का प्रधान था। मैं महेश के कहने पर आज बयान देने आया हूँ। महेश मेरे गांव का है। महेश मेरे साथ में घटना के समय कमासिन बारात में था। शादी के लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। मैं आज शादी का कार्ड नहीं लाया हूँ और न ही अदालत में दाखिल किया हूँ। मुझे ये नहीं मालूम कि शादी कराने में कौन पण्डित जी थे। शादी में कोई फोटोग्राफी नहीं हुई थी और न ही शादी में मोबाइल से खींची गई कोई फोटो दाखिल की है। यह कहना गलत है कि दिनांक 17.02.2016 को मेरे भतीजे की शादी नहीं हुई हो।

26. मेरे द्वारा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों की बहस को विस्तार से सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया।

निष्कर्ष

27– अभियोजन कथानक को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। अभियोजन को अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा–147, 148, 308 भा0दं0सं0 व 3/25 आर्म्रस एक्ट के आवश्यक तथ्यों को संदेह से परे साबित करना होगा।

28– भा०दं०सं० की धारा **308.** में यह प्रावधान किया गया है कि –"जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता, तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहित हो जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।"

भा०दं०सं० की धारा **325.** में यह प्रावधान किया गया है कि –"उस दशा के सिवाय, जिसके लिये धारा–335 में उपबन्ध है, जो स्वेच्छया घोर उपहाति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

भा०दं०सं० की धारा **147.** में यह प्रावधान किया गया है कि –"जो कोई बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।"

भा०दं०सं० की धारा **148.** में यह प्रावधान किया गया है कि –"जो कोई घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किये जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य हो, सज्जित होते हुए बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।"

धारा–25 आयुध अधिनियम में यह प्रावधान है कि जो कोई बिना वैध लाइसेन्स के ते हथियार/अवैध शस्त्र रखेगा, बेचेगा, वह 03 वर्ष से 07 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है, जो कि 14 साल तक बढ़ सकती है और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

29– इस मामले में विचारणीय बिंदु यह है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा धारा 147,148,308 भा0 दं0 सं0 व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अपराध कारित करना पाया जाता है अथवा नहीं? इसी के आलोक में यह न्यायालय अपना निष्कर्ष ज्ञापित करेगी।

30– अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) द्वारा बहस किया गया कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण पी०डब्लू०–1, पी०डब्लू०–2, पी०डब्लू०–3, पी०डब्लू०–5, पी०डब्लू०–6, पी०डब्लू०–7 एवं पी०डब्लू०–8 ने मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य से मारपीट की घटना एवं शस्त्र बरामदगी की घटना को साबित किया है। अतः अभियुक्तगण लगयाये गए आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

31– जबकि बचाव पक्ष की ओर से यह बहस किया गया कि सम्पूर्ण अभियोजन कहानी पूर्णतः काल्पनिक एवं मनगढन्त है। पुलिस के द्वारा असत्य एवं काल्पनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी है। घटना का कोई स्वंतत्र साक्षी नहीं है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

32– धारा–308 भा०दं०सं० यह प्रावधान करती है कि, जिन कृत्यों द्वारा वह जो इस इरादे या जानकारी के साथ आपराधिक कृत्य किया जाता है कि यदि मृत्यु हो जाती है, तो वह हत्या न होने के बावजूद गैर इरादतन हत्या मानी जायेगी। इस मामले में अभियुक्तगण रोहित यादव, कुंवरपाल सिंह यादव, प्रेमचन्द्र यादव, महेश यादव,गोपाल कुशवाहा(मृतक) एवं दीपक यादव हैं। भा०दं०सं० की धारा–308 स्पष्ट करती है कि कोई जानबूझकर ऐसा कृत्य करना, जिससे गैर इरादतन हत्या होने की संभावना हो (हत्या नहीं) न्यायालय द्वारा धारा–307 जैसे गंभीर अपराधों से इसे अलग करने के लिये, तथ्य एवं परिस्थितियों का सावधानीपूर्ण विश्लेषण करने पर बल दिया है। इसके लिये विश्वसनीय और पुष्ट साक्ष्य सर्वोपरि है, जिसके तहत कृत्य आपराधिक इरादे और मृत्यु होने की स्थिति में संभावित हो।

33– इस मामले में दिनांक 17.02.2016 को समय करीब 10 बजे रात्रि स्थान ग्राम झलोखर, थाना कुरारा, जिला हमीरपुर में विधि विरुद्ध जमाव कर बल्वा कारित किया गया, जिसके तहत सामान्य आशय से वादी के बहनोई नरेन्द्र के साथ लाठी डंडे व रायफल तथा असलहों की बट से मारा पीटा तथा चोटें पहुँचाई। अभियुक्त कुंवरपाल यादव से एक अदद देशी रायफल 315 बोर, एक अदद डी०बी०बी०एल० गन, दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर एवं 14 अदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा अभियुक्त रोहित यादव से एक अदद देशी बन्दूक

12 बोर, एक अदद देशी रायफल 315 बोर, एक अदद देशी अद्धी 315 बोर, एक अदद फैक्ट्री मेड बन्दूक 12 बोर, शस्त्र चालू हालत में तथा चार अदद कारूतस 12 बोर, दो अदद खोखा कारतूस 12 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, पांच अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये। जबकि महत्वपूर्ण बिन्दू यह है कि अभियुक्तगण द्वारा लाठी डंडा, रायफल तथा असलहों की बट से मारपीट तथा चोटें पहुँचाना कहा गया है।

34– भा०दं०सं० की धारा–308 प्रभावित होने के लिये शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर लाठी, चाकू से हमला यानी हत्या के स्पष्ट इरादे के बिना, जानलेवा जोखिम पैदा करने वाली मारपीट होती है। अभियोजन पक्ष को सभी तत्वों को साबित करना होगा, अन्यथा सन्देह का लाभ आरोपी को प्राप्त होगा। इस मामले में डाक्टर पी०डब्लू०–3 ने अपनी जिरह में यह कहा है कि मैंने मरीज से उसकी चोटों के सम्बन्ध में कुछ नहीं पूछा था क्योंकि वह अर्द्धमूर्क्षित अवस्था में था। जैसा मुझे 108 एंबुलेंस लाने वालों ने बताया था। मरीज के शरीर में जिस तरीके की चोटें थीं, वैसी चोटें ज्यादातर रोड साइड एक्सीडेंट में ही आती हैं। इन चोटों का मारपीट से आयी होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अभियोजन कथानक में लाठी डंडे, रायफल और असलहों के बटों से मारपीट व चोटें पहुँचाया जाना, सामान्य आशय के तहत तथा बल्वा कारित किया गया। इस मामले में असलहों का जखीरा अभियुक्तगणों के पास पाया गया है, जो सामान्य परिस्थितियों में विश्वास करने योग्य नहीं है और इन हथियारों का उपयोग शराब के विषय को लेकर करीब 10 बजे दुकान की गद्दी पर बैठे थे तब मैं प्रार्थी अपने बहनोई को खाना खाने के लिये बुलाने दुकान पर गया था कि ताभि रोहित सिंह यादव पुत्र स्व० वीर सिंह यादव व कुवंरपाल सिंह यादव पुत्र ओमकार यादव व दीपक यादव पुत्र रामसागर यादव व प्रेमचन्द्र यादव पुत्र शिववालक व महेश यादव पुत्र दयाराम यादव व गोपाल कुशवाहा पुत्र रामदयाल समस्त निवासीयण पातारा थाना कुरारा जिला हमीरपुर दो मोटरसाइकिलो से आये जिसमे रोहित सिंह राइफल लिये था व दीपक यादव दो नाली बन्दुक लिये था व कुंवरपाल सिंह 315 बोर की अद्धी लिये था सभी दुकान के अन्दर जबरजस्ती घुस आये और गोलक में रखे लगभग 6000 हजार रूपये लुटकर ले जाने लगे। प्रार्थी व उसके बहनोई नरेन्द्र सिंह ने विरोध किया तो रोहित सिंह प्रार्थी के सिने पर राइफल लगा दी और साथियो से कहा लुटो तब शेष लोगो ने मेरे बहनोई के साथ मारपीट शुरू कर दी। उक्त लोगो की वेतहासा मारपीट में मेरे वहानोई जब मारणासन्न स्थिति में हो गये। लूट छः हजार रुपये की, की गई, इसलिये सर्वप्रथम इस मामले में धारा–395 भा०दं०सं० के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना दौरान धारा–395 भा०दं०सं० विलोपित किया गया और उसके पश्चात धारा–147,148,308 भा०दं०सं० में चार्जशीट दिया गया। पत्रावली पर अभियोजन द्वारा अभियुक्तगणों के विरुद्ध आपराधिक इतिहास के मुकदमे का लिस्ट दाखिल किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं, परन्तु क्या वे इस मामले में, जिस तरह की घटना कारित हुई, क्या वे शामिल थे? यह विचारणीय बिन्दु न्यायालय के समक्ष है।

35– इस मामले में पत्रावली पर साक्षी पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा, जिसकी तहरीर पर यह मामला पंजीकृत किया गया तथा वादी मुकदमा द्वारा यह बयान दिया गया कि दिनांक 17.02.2016 को मैं अपने बहनोई नरेन्द्र सिंह के पास था। मेरे बहनोई नरेन्द्र सिंह ग्राम झलोखर के रहने वाले हैं और झलोखर पर ही देशी मदिरा की दुकान पर सेल्समेन का काम करते थे। दिनांक 17.02.2016 को रात में करीब 10 बजे जब मैं अपने बहनोई नरेन्द्र सिंह की दुकान पर, उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने गया था तभी उपरोक्त मुल्जिमान रोहित सिंह यादव, कुंवरपाल सिंह यादव, गोपाल कुशवाहा जो ग्राम पतारा के रहने वाले हैं, दो मोटरसाइकिलों से आये थे, जिसमें दीपक दोनाली बन्दूक, रोहित सिंह रायफल व कुंवरपाल 315 बोर की अद्धी लिये हुए थे। उपरोक्त सभी छः लोग शराब की दुकान के अन्दर जबरदस्ती घुंसकर गुल्लक में रखे छः हजार रुपये

लूटकर ले जाने लगे। मैंने व मेरे बहनोई नरेन्द्र सिंह ने इस बात का विरोध किया तो मेरे सीने पर रोहित सिंह ने रायफल लगा दी और अपने साथियों से लूट लेने के लिये कहा तभी मेरे बहनोई के साथ सभी लोग मारपीट करने लगे, जिससे मेरे बहनोई गंभीर रूप से घायल हे गए और मुझसे व मेरे बहनोई से मुल्जिमान ने धमकी दी कि यदि पुलिस को हमारे नाम बताये तो जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। मुल्जिमान जाते समय दुकान के अन्दर रखे छः हजार रुपये व कुछ शराब की बोतलें लूटकर ले गए थे। दुकान के अन्दर गैस बत्ती जल रही थी व दुकान से लगे बगल वाले घर के अन्दर बिजली का बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में मैंने व मेरे बहनोई ने मुल्जिमानों को भली भांति देखा व पहचाना था। दिनांक 19.02.2016 को मेरे बहनोई नरेन्द्र सिंह को जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर हैलट कानपुर के लिये रिफर कर दिया था। तब मैं उन्हें अस्पताल के अन्य लोगों को साथ में अस्पताल में ही बैठाकर अपने गांव के महेश से बोलकर तहरीर लिखवाकर, थाना कुरारा में जाकर दिया था।पैसों की व्यवस्था होने पर 23.02.3016 को नरेन्द्र सिंह रिफर कराकर कानपुर के हैलट अस्पताल ले गए थे। इस घटना के लगभग एक माह पूर्व भी इन लोगों द्वारा इसी दुकान पर घटना कारते हुए अभद्रता करते हुए व धमकी दी थी, जिसकी सूचना भी नरेन्द्र सिंह द्वारा थाना कुरारा में दी गई थी। अभियुक्तगणों के नाम पता मुझे मेरे बहनोई द्वारा बताये गए थे। जिरह में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि महेश व गोपाल को रात में घटना के समय दस बजे उस दिन देखा था। घटना वाले दिन बहनोई घर से कितने बजे ड्यूटी में गए थे, मुझे नहीं मिले, इसलिये नहीं बता सकता ड्यूटी में जा चुके थे, जब मैं पहुँचा था। मैं घटना के बाद 19 परवरी 2016 को रिपोर्ट करने गया था। तहरीर मैंने अपने गांव के महेश सिंह से अस्पताल में करीब 10–11 बजे लिखाई थी। मैं थाना के बाद अपने बहनोई को स्वयं अस्पताल 108 नंबर एम्बुलेंस से लेकर आया था। एंबुलेंस मैंने अपने मोबाइल से बुलाई थी। एंबुलेंस को फोन करीब 10.30 बजे रात में किया था। घटना करीब 10 बजे रात में हुई थी। घटना के बाद मैं अपने बहनोई के साथ रहा था। जब मैं अपने बेहनोई को अस्पताल ले गया हूँ, उस समय वह होश में नहीं थे, उन्हें 19 तारीख को सुबह पांच–छः बजे होश आया था। होश आने के बाद मैं थाना कुरारा में रिपोर्ट लिखाने थाना कुरारा आया था। शराब की दुकान, जिसमें घटना हुई थी, वह बेरी के किसी व्यक्ति के नाम है। मेरी निशांदेही पर ही मौके का नक्शा मेरे बताने पर बनाया था। घटना शराब की दुकान के अन्दर हुई थी। मेरे दुकान पहुँचने के करीब पांच–दस मिनट बाद मुल्जिमान दुकान पर आ गए थे। इन पांच–दस मिनट में मेरे बहनोई से बातचीत हुई थी। ऐसा नहीं है कि मैं घटनास्थल पर मौजूद न हूँ एवं मेरे द्वारा घटना न देखी हो। ऐसा भी नहीं है कि घटना हो जाने के बाद मैं घटनास्थल में पहुँचा हूँ। बदमाश बोतलें उठा ले गये थे। शराब में बीस–पच्चीस बोतलें उठा ले गए थे। सभी बोतलें देशी शराब की थी। सभी पउवा थे। शराब की काफी पेटियां रखी थी, परन्तु कितनी पेटियां थी, मैं नहीं बता सकता हूँ। यह कहना गलत है कि घायल मेरे बहनोई हैं, इसलिये मैं झूठा बयान दे रहा हूँ।

पी०डब्लू०–1 के बयान से निष्कर्ष है कि दिनांक 17.02.2016 को रात में करीब 10 बजे जब मैं अपने बहनोई नरेन्द्र सिंह की दुकान पर, उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने गया था तभी उपरोक्त मुल्जिमान रोहित सिंह यादव, कुंवरपाल सिंह यादव, गोपाल कुशवाहा जो ग्राम पतारा के रहने वाले हैं, दो मोटरसाइकिलों से आये थे, जिसमें दीपक दोनाली बन्दूक, रोहित सिंह रायफल व कुंवरपाल 315 बोर की अद्धी लिये हुए थे। उपरोक्त सभी छः लोग शराब की दुकान के अन्दर जबरदस्ती घुंसकर गुल्लक में रखे छः हजार रुपये लूटकर ले जाने लगे। मैंने व मेरे बहनोई नरेन्द्र सिंह ने इस बात का विरोध किया तो मेरे सीने पर रोहित सिंह ने रायफल लगा दी और अपने साथियों से लूट लेने के लिये कहा तभी मेरे बहनोई के साथ सभी लोग मारपीट करने लगे। मेरी निशांदेही पर ही मौके का नक्शा मेरे बताने पर बनाया था। घटना शराब की दुकान के अन्दर हुई थी। मेरे दुकान पहुँचने के करीब पांच–दस मिनट बाद मुल्जिमान दुकान पर आ गए थे। ऐसे में

पी०डब्लू०–1 के बयान से उपधारणा की जाती है कि घटना के समय यह उपस्थित नहीं था और यह कहना कि मेरे बहनोई नरेन्द्र सिंह ने इस बात का विरोध किया तो मेरे सीने पर रोहित सिंह ने रायफल लगा दी और अपने साथियों से लूट लेने के लिये कहा तभी मेरे बहनोई के साथ सभी लोग मारपीट करने लगे। इस प्रकार किस तरीके से मारपीट की गई, यह स्पष्ट नहीं है। केवल यह कहा गया कि मेरे बहनोई को सीने पर रोहित सिंह ने रायफल लगा दी और अपने साथियों से लूट लेने के लिये कहा। सभी ने मारपीट की, किस प्रकार के हथियार से मारपीट की गई, यह स्पष्ट नहीं है। डाक्टर का बयान पी०डब्लू–3 के बयान से यही निष्कर्ष दिया जा सकता है कि चोट नरेन्द्र सिंह को एक्सीडेंट के उपरान्त आ सकती हैं, इन चोटों का मारपीट से आयी होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, सत्य प्रतीत होता है।

36– साक्षी पी0 डब्लू0–2 ने साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 17.02.2016 की रात को दस बजे की है। मैं अपनी शराब के दुकान के अन्दर था। मैं शराब की दुकान में सेल्समेन के पद पर कार्यरत था, जो दुकान ग्राम झलोखर में स्थित है। दुकान के अन्दर गैस बत्ती जल रही थी एवं बाहर बल्ब जल रहा था। तभी मेरा साला सुनील कुमार मुझे खाना खाने के लिये घर से बुलाने आया था तो मैंने कहा कि थोड़ी देर रुके चल रहा हूँ। इसके बाद रोहित यादव 315 बोर की रायफल लिये हुए, दीपक यादव 12 बोर की दुनाली लिये, कुंवरपाल 315 बोर की अद्धी, गोपाल कुशवाहा, प्रेमचन्द्र यादव, महेश यादव दुकान के अन्दर घुंस आए।_इसके बाद गोलक में रखे छः हजार रुपये लूटने लगे तो मैंने विरोध किया एवं मेरे साले ने भी विरोध किया, तब रोहित ने मेरे साले सुनील के रायफल सीने में अड़ा दी। इसके बाद रोहित ने कहा कि लूटो, तब मैंने पुनः विरोध किया तो सभी मुझे लात घूंसों से मारने पीटने लगे और मुझे लहू लुहान कर दिया था। इसके बाद मैं लहू लुहान होकर गिर पड़ा। गोलक में रखे छः हजार रुपये व शराब की कुछ बोतलें ले जाने लगे, जाते समय धमकी दी कि यदि पुलिस में हमारा नाम बताया तो तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद मेरे साले ने 108 नंबर एंबुलेंस को फोन किया। इसके बाद मैं बेहोश हो गया था। इसके बाद मेरा साला मुझे लादकर हमीरपुर अस्पताल लाया। इसके बाद उन्नीस तारीख को सुबह पांच बजे मुझे होश आया तब मेरे साले ने नाम पूछे कि ये लोग कौन–कौन थे। तब मैंने अपने साले को उपरोक्त सभी मुल्जिमानों के नाम बताये थे। तब मेरा साला रिपोर्ट करने गया था। उन्नीस तारीख को फरवरी महीने सन् 2016 में कानपुर हैलट अस्पताल के लिये मुझे हमीरपुर से रिफर किया था। लेकिन पैसे न होने के कारण पुनः हमीरपुर अस्पताल में ही भर्ती रहा। दिनांक 23.02.2016 को कानपुर हैलट अस्पताल के लिये रिफर किया था। हैलट में दिनांक 23.02.2016 से 29.02.2016 तक मेरा इलाज चला था। इसके बाद डाक्टर साहब ने कहा कि 08.03.2016 को आना। मैं गया तब मेरा आप्रेशन हुआ था। दिनांक 13.03.2016 को छुट्टी मिली थी। अस्पताल की रिपोर्ट पर्चे आदि आज दिनांक 15.12.2017 को दाखिल कर रहा हूँ। जिरह में कहा है कि मैंने जो प्रदर्श क–2 प्रार्थना पत्र आज दाखिल किया है, वह एस०पी० हमीरपुर को उस घटना के तीन दिन बाद दिया था। ऐसा नहीं है कि मुल्जिमानों द्वारा कोई घटना न कारित की हो और मैंने रंजिशन मुल्जिमानों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई हो। मैं बेहोश हो गया था, इस वजह से मैं नहीं बता सकता कि कितने बदमाश शराब के पउवा लूट के ले गए थे। घटना वाले समय मैं व मेरा साला सुनील दोनों कमरे के अन्दर थे। मुझे ठेकेदार अस्पताल में देखने गया था, परन्तु मैं बेहोश था, इसलिये यह नहीं बता सकता कि ठेकेदार हमीरपुर में किस दिन देखने आया। मुझे 19 फरवरी 2016 को समय सुबह 5–6 बजे सरकारी अस्पताल हमीरपुर में होश आया था। मैं 17 तारीख को रात 10 बजे मारपीट के समय बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया था, मैंने घटना की तहरीर गांव के एक लड़के से लिखवाई थी। तहरीर में मुल्जिमानों के नाम मेरे बताने पर ही लिखे गए थे। घटना के समय कौन अभियुक्त, कौन से असलाहें लिये थे, यह भी मेरे बताने पर लिखा था। घटना के वक्त मैं

शर्ट व लोवर पहने था। लोवर व शर्ट खून से भीगे थे। मापीट के बाद अभियुक्तगण ने 4 मिनट बाद लूटपाट की। इस केस में वांछित सभी अभियुक्त पतारा गांव के रहने वाले हैं। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों द्वारा मारपीट व लूटपाट की घटना कारित न की गई हो।

पी०डब्लू०–2 के बयान से यह निष्कर्ष है कि घटना दिनांक 17.02.2016 की रात को दस बजे की है। मैं अपनी शराब के दुकान के अन्दर था। मैं शराब की दुकान में सेल्समेन के पद पर कार्यरत था, जो दुकान ग्राम झलोखर में स्थित है। दुकान के अन्दर गैस बत्ती जल रही थी एवं बाहर बल्ब जल रहा था। तभी मेरा साला सुनील कुमार मुझे खाना खाने के लिये घर से बुलाने आया था तो मैंने कहा कि थोड़ी देर रुके चल रहा हूँ। इसके बाद रोहित यादव 315 बोर की रायफल लिये हुए, दीपक यादव 12 बोर की दुनाली लिये, कुंवरपाल 315 बोर की अद्धी, गोपाल कुशवाहा, प्रेमचन्द्र यादव, महेश यादव दुकान के अन्दर घुंस आए। इसके बाद गोलक में रखे छः हजार रुपये लूटने लगे तो मैंने विरोध किया एवं मेरे साले ने भी विरोध किया, तब रोहित ने मेरे साले सुनील के रायफल सीने में अड़ा दी। इसके बाद रोहित ने कहा कि लूटो, तब मैंने पुनः विरोध किया तो सभी मुझे लात घूंसों से मारने पीटने लगे और मुझे लहू लुहान कर दिया था। इसके बाद मैं लहू लुहान होकर गिर पड़ा। गोलक में रखे छः हजार रुपये व शराब की कुछ बोतलें ले जाने लगे, जाते समय धमकी दी कि यदि पुलिस में हमारा नाम बताया तो तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद मेरे साले ने 108 नंबर एंबुलेंस को फोन किया। इसके बाद मैं बेहोश हो गया था। इसके बाद मेरा साला मुझे लादकर हमीरपुर अस्पताल लाया। इसके बाद उन्नीस तारीख को सुबह पांच बजे मुझे होश आया तब मेरे साले ने नाम पूछे कि ये लोग कौन–कौन थे। तब मैंने अपने साले को उपरोक्त सभी मुल्जिमानों के नाम बताये थे। तब मेरा साला रिपोर्ट करने गया था। पी०डब्लू०–2 का बयान पी०डब्लू०–1 के बयान से काफी हद तक मैच करता है। यह साक्षी बेहोश हो गया, उसके पश्चात इसे कुछ याद नहीं रहा और बेहोश होने से पूर्व इसके द्वारा बयान दिया गया, उससे प्रतीत होता है कि पी०डब्लू०–1 यानी इसका साला जो 108 नंबर एंबुलेंस को फोन किया, इसे ज्ञात है। जबकि इसके बाद अपने को बेहोश होना कहा है। जबकि पी०डब्लू०–1 के बयान से निष्कर्ष है कि घटना पी०डब्लू०–2 के ऊपर होने के बाद वह मौके पर नहीं पहुँचा। जबकि यह गवाह कह रहा है कि मेरे साले ने 108 नंबर पर फोन किया। ऐसा कैसे हो सकता है? पी०डब्लू०–1 व पी०डब्लू०–2 दोनों के बयान में काफी अन्तर और विरोधाभाष है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पी०डब्लू०–2 के बयान में मात्र इतना आया है कि इसे लात घूंसो से मारापीटा गया। जबकि पूरे बयान में हथियारों का जखीरा होना पाया जाता है और जिससे एक भी गोली चलने का साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। इस मामले में शुरुआत में मुकदमा भा०दं०सं० की धारा–395 में दर्शित किया गया, बाद में धारा–147,148,308 भा०दं०सं० में तरमीम किया गया, जिसका ट्रायल न्यायालय के समक्ष है।

37– अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–3 डा० आर०जी० शंखवार ने अपने बयानों में कथन किया है कि नरेन्द्र पुत्र महावीर उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम झलोखर थाना कुरारा जिला हमीरपुर को घायल अवस्था में 108 एमबुलेन्स द्वारा लाकर आकस्मिक चिकित्सा विभाग में दाखिल किया गया था, जिनका चिकित्सीय परीक्षण मेरे द्वारा उसी समय किया गया था। चुटहिल नरेन्द्र पहचान के चिन्ह के रूप में मैंने उसके दाहिने हाथ का अंगूठा लगवाया था। चुटहिल के शरीर पर निम्न चोटे पाई गई थी– 1. रगड़ के साथ नीलगू निशान, जिसका की आकार आठ से०मी० x पाच से०मी० था, जो कि दांए भौं के ऊपर मौजूद था, जिसके लिए एक्स–रे की सलाह दी गई थी। 2. रगड़ जिसका की आकार एक से०मी० x 0.5 से०मी० x खाल तक गहरा जोकि दांये पैर के पंजे में बीच की तरफ डार्सल साइड पर मौजूद था। इसके आसपास जमा हुआ रक्त मौजूद था। 3. नीलगू निशान तिरछा रंग लाल जिसका की आकार पाच से०मी० x दो से०मी० जो कि दांए

स्टेपुला की टिप से पांच से०मी० नीचे को स्थित था। नोट– बांए कान से खून बह रहा था।मैंने मरीज को भर्ती किया था और कागज सं0 220क/1 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। कागज सं० 220क/2 डा० विनय प्रकाश के लेख में लग रहे हैं व हस्ताक्षर उन्हीं के हैं। साक्षी पी०डब्लू०–3 डाक्टर है, जिसने वादी के बहनोई नरेन्द्र की चोटों का परीक्षण किया है और आघात आख्या अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की है। डाक्टर द्वारा जो चोटें आघात आख्या में बताई गई हैं, वह साक्षियों के साक्ष्य के अनुरूप हैं। इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू०–3 डाक्टर के साक्ष्य से मारपीट की घटना साबित है।

38– साक्षी पी०डब्लू०–4 डा० राघवेन्द्र ने अपने बयानों में कथन किया है कि मजरूब नरेन्द्र उम्र 35 वर्ष पता ग्राम झलोखर थाना कुरारा को ई०एम०ओ० के द्वारा सिर में चोट लगने की वजह से मेरी यूनिट में भर्ती कराया गया। मेरी यूनिट के द्वारा मजरूप नरेन्द्र का सी०टी० स्कैन हैलट अस्पताल में स्थित ए०पी० डाइग्नोस्टिक सेन्टर में कराया गया। सी०टी० स्कैन की रिपोर्ट में लेफ्ट टैम्पोरो पैराइटला में खून के धब्बे (Acude SDH) एवं लेफ्ट फ्रन्टल में भी खून के धब्बे पाये गए। मरीज का इलाज दवाईयों के माध्यम से किया गया। मरीज का दुबारा सी०टी० स्कैन दिनांक 27.02.2016 को पुनः कराया गया, जिसमें खूनके थक्के घटते हुए पाये गए। मरीज को दिनांक 29.02.2016 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था एवं उसे एक हफ्ते बाद पुनः दिखाने के लिये बुलाया गया था। मरीज नरेन्द्र की डिस्चार्ज स्लिप मेरी देखरेश में मेरे जूनियर डाक्टर द्वारा तैयार की गई थी, जिसमें मेरे हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने पत्रावली में शामिल कागज सं० 8क/1 को देखकर कहा कि यह वही डिस्चार्ज स्लिप है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि में करता हूं। जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। मजरूब नरेन्द्र दिनांक 08.03.2016 को दुबारा अस्पताल में दिखाने आये थे, जिनका मेरे द्वारा पुनः ए०पी० डाइग्नोस्टिक सेन्टर से सी०टी० स्कैन कराया गया, जो पत्रावली में कागज सं० 26क/6 के रूप में शामिल है, में पिछले खून के थक्के Chronic SDH के रूप में पाये गए, जिसका इलाज के लिये मरीज को पुनः BHT No.7603 के माध्यम से दिनांक 08.03.2016 को ही हैलट में भर्ती किया गया। भर्ती करने के पश्चात आप्रेशन के द्वारा उन थक्कों को निकाला गया। मजरूब नरेन्द्र के सिर की यह चोट जानलेवा थी। सी०टी० स्कैन में दिमाग के बायें हिस्से में Acude SDH एवं लेफ्ट फ्रंटल में दिमाग में चोट थी। मरीज नरेन्द्र दिनांक 23.02.2016 को भर्ती हुआ था तथा दिनांक 29.02.2016 को डिस्चार्ज हो गया था। जब डिस्चार्ज किया था तब मरीज की स्थिति स्थिर थी, लेकिन दिमाग में थक्के थे, जो घट रहे थे। साक्षी पी०डब्लू०–4 डाक्टर है, जिसने वादी के बहनोई नरेन्द्र सिंह की चोटों का परीक्षण किया है और सी०टी० स्कैन अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की है। डाक्टर द्वारा सी०टी० स्कैन किया गया, परन्तु चुटहैल/मजरूब नरेन्द्र को चोट स्पष्ट रूप से कैसे आई, अभियोजन पक्ष को भा०दं०सं० की धारा–308 के सभी तत्वों को साबित करना होगा। अभियोजन पक्ष के विरोधाभाषी साक्ष्यों के परिणामस्वरूप अथवा कारण, आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न संबंधी मामला परिलक्षित होता है। डाक्टर व पी०डब्लू०–1 के बयान से मजरूब नरेन्द्र सिंह को चोटें कैसे आईं, साक्ष्य में स्पष्टता का अभाव है।

39– साक्षी पी०डब्लू०–5 सुरेन्द्र सिंह विवेचक/उपनिरीक्षक ने अपने बयानों में कथन किया है कि थाना हाजा पर दिनांक 20.02.2016 को दर्ज मु.अ.सं. 58/2016 बनाम रोहित यादव आदि धारा 395 भा०द०सं० की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गई थी। तत्कालीन थाना प्रभारी श्री सुभाष कुमार यादव के साथ मय पुलिस फोर्स के अभियुक्तगण उपरोक्त रोहित की निशांदेही पर उसके बताये हुये स्थान नेठी जंगल में घनी झाड़ियों से अभियुक्त रोहित द्वारा एक काली पोलीथीन में लिपटी हुई एक अदद देशी बन्दूक 12 बोर, एक अदद देशी राइफल 315 बोर, एक अद्धी देशी 315 बोर व एक अदद फैक्ट्री मेड बन्दुक 12 बोर जिसका नम्बर घिसा हुआ था व चार अदद

जिन्दा कारतूस 12 बोर, दो अदद खोखा कारतूस 12 बोर व दो अदद जिन्दा व पांच अदद खोखा कारतूस 315 बोर, निकाल कर दिया था। अभियुक्त कुंवरपाल की निशांदेही पर अभियुक्त के बताये हुये स्थान नेठी जंगल में घनी झाड़ियों से अभियुक्त कुंवरपाल द्वारा एक काली पोलीथीन में लिपटी हुई एक अदद देशी बन्दूक 315 बोर, एक अदद बी.बी.बी.एल. गन फैक्ट्री मेड नम्बर घिसा हुआ, दो अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर व चौदहा अदद खोखा कारतूस 315 बोर निकाल कर दिया गया था। वहीं मौके पर एस.आई. श्री बलबीर सिंह को बोल बोलकर एस.ओ. श्री सुभाष चन्द्र यादव द्वारा फर्द तैयार की गयी थी। पर्चा न० 18 दिनांक 09.05.2016 को किता किया था जिसमें साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त 1. रोहित 2. कुवंरपाल 3. प्रेमचन्द्र 4. महेश यादव 5. गोपाल कुशवाहा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 147,148,308 I.P.C. में आरोपपत्र संख्या 64/2016 किता कर प्रेषित किया था। एस.सी.डी. नं० 11 दिनांक 22.08.2016 को किता किया था जिसमें अभियुक्त दीपक के माननीय न्यायालय के आदेश से जिला कारागार हमीरपुर जाकर बयान दर्ज किये जाने तथा साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त दीपक के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 147,148,308 I.P.C में आरोपपत्र संख्या 64A/16 दिनांक 22.08.2016 का विवरण अंकित किया था। जिरह में मुख्य रूप से यह कहा है कि उस समय थाने के प्रभारी श्री सुभाष कुमार यादव थे तथा सुभाष कुमार यादव ने ही उक्त मुकदमें में अभियुक्त कुँवर पाल व रोहित थे। नाजायज असलहों की बरामदगी की थी। उस समय भी मैं बरामदगी के वक्त सुभाष कुमार यादव का हमराह था तथा नाजायज असलहों की बरामदगी भी मेरे सामने हुई थी। असलहों की बरामदगी ग्राम नैठी के जंगलों में हुई थी। यह स्थान ग्राम नैठी से करीब 7–8 सौ मीटर पहले सड़क से दाहिने तरफ 50–60 मीटर का स्थान था, जहाँ झाड़ियाँ थी। असलहें झाड़ियों में छिपे हुये थे तथा कारतूस सहित काली पन्नी में रखे हुये थे। बरामदगी के समय रोहित व कुँवर पाल न्यायालय के आदेश से हमारी अभिरक्षा में थे। बरामदगी दिन में लगभग दस बजे हुई थी। नक्शा नजरी मैंने वादी की निशादेही पर मौके पर तैयार किया था।

40– साक्षी पी०डब्लू०–6 हे०कां० राजेन्द्र सिंह ने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 20.02.2016 को मैं थाना कुरारा में थाना कार्यालय पर समय 23:55 बजे कार्यलेख पर मौजूद था। उसी समय वादी मुकदमा सुनील सिंह पुत्र भूरा सिंह द्वारा दाखिल तहरीर पर थानाध्यक्ष महोदय के आदेश से मैंने मु०अ०सं० 58/2016 बनाम रोहित यादव आदि के विरूद्ध धारा 395 भा.दं.सं. में चिक एफ.आई.आर. किता की थी। उक्त चिक एफ.आई.आर. किता किये जाने का उल्लेख मैंने उसी दिन की नकल रपट नम्बर 37 पर समय 23:55 पर किया था। साक्षी ने पत्रावली में शामिल कागज संख्या 4क/1 लगायत 4क/6 देखकर कहा यह वही चिक एफ.आई.आर. संख्या है जो मैंने कम्प्यूटर पर बोल–बोलकर कां० दीपक कुमार से किता कराई थी। कागज संख्या 5क देखकर कहा यह नकल रपट नम्बर 37 समय 23:55 तारीखी 20.02.2016 की कार्बन प्रति है जो मैंने मूल जी.डी. तैयार करते समय एक ही प्रक्रम में तैयार की थी। कार्बन प्रति पर हस्तलेख मेरा है, जिसे मैं प्रमाणित करता हूं। कागज संख्या 4क चिक एफ.आई.आर. पर प्रदर्श क–12 व कागज संख्या 5क पर प्रदर्श क–13 डाला गया। थानाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार यादव द्वारा दाखिल फर्द के आधार पर मैंने मु०अ०सं० 91/2016 बनाम रोहित सिंह यादव धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की चिक संख्या 66/2016 कम्प्यूटर पर बोल–बोलकर किता कराई थी तथा मुकदमा कायमी का हवाला उसी दिन नकल रपट नम्बर 19 पर समय 12:30 बजे पर किया था। साक्षी ने एस.टी. नम्बर 130/2016 राज्य प्रति रोहित सिंह की पत्रावली में शामिल कागज संख्या 4 क/01 लगायत 4 क/04 देखकर कहा कि यह वही चिक एफ.आई.आर. है जो मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर बोल–बोलकर किता कराई गई थी। कागज संख्या 4 क पर प्रदर्श क–14 डाला गया। इसी पत्रावली का कागज संख्या 7क को देखकर साक्षी ने कहा यह नकल रपट नम्बर 19 समय

12:30 तारीखी 12.04.2016 की कार्बन प्रति है जो मैंने मूल जी.डी. तैयार करते समय एक ही प्रक्रम में तैयार की थी। कार्बन प्रति पर हस्तलेख मेरा है, जिसे मैं प्रमाणित करता हूं। कागज संख्या 7 क पर प्रदर्श क–15 डाला गया। मुल्जिम को दाखिल हवालात व माल मुकदमाती को दाखिल माल खाना किया था। इसी दिनांक 12.04.2016 को समय 15:30 बजे में थाना कार्यालय कुरारा में कार्य लेख में मौजूद था। थानाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार यादव द्वारा दाखिल फर्द के आधार पर मैंने मु०अ०सं० 92/2016 बनाम कुंवरपाल यादव धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की चिक संख्या 67/2016 कम्प्यूटर पर बोल–बोलकर किता कराई थी तथा मुकदमा कायमी का हवाला उसी दिन नकल रपट नम्बर 24 पर समय 15:30 बजे पर किया था। साक्षी ने एस.टी. नम्बर 131/2016 राज्य प्रति कुंवर पाल यादव की पत्रावली में शामिल कागज संख्या 4 क 01 लगायत 4 क/04 देखकर कहा कि यह वही चिक एफ.आई.आर है जो मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर बोल–बोलकर किता कराई गई थी। कागज संख्या 4 क पर प्रदर्श क–16 डाला गया। इसी पत्रावली का कागज संख्या 8 क को देखकर साक्षी ने कहा यह नकल रपट नम्बर 24 समय 15:30 तारीखी 12.04.2016 की कार्बन प्रति है जो मैंने मूल जी.डी तैयार करते समय एक ही प्रक्रम में तैयार की थी। कार्बन प्रति पर हस्तलेख मेरा है जिसे मैं प्रमाणित करता हूं। कागज संख्या 7 क पर प्रदर्श क–17 डाला गया। साक्षी पी०डब्लू०–6 हेड मुहर्रिर/चिक लेखक है। इस साक्षी द्वारा प्रकरण की चिक एफ०आई०आर० पंजीकृत की गई है, जिसका विवरण नकल रपट में दर्ज किया गया है।

41– साक्षी पी०डब्लू०–7 उपनिरीक्षक पन्नालाल ने अपने बयानों में कथन किया है कि मु०अ०सं०–58/2016 धारा 147,148,308 भा.द.सं. थाना कुरारा से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त रोहित यादव से बरामद नाजायज असलहा जात से सम्बन्धित फर्द बरामद व कायमी मुकदमा एस.ओ. सुभाष कुमार यादव वादी द्वारा दर्ज मु०अ०सं० 91/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम रोहित यादव की विवेचना तत्पश्चात दिनांक 12.04.2016 को सी०डी० नम्बर प्रथम में मु०अ०सं० 58/2016 धारा 147,148,308 भा.द.सं. से संबंधित वांछित अभियुक्त कुंवर पाल यादव से बरामद एक अदद देशी रायफल 315 बोर व एक अदद डी.बी.बी.एल. गन फैक्ट्री मेड व दो अदद जिन्दा कारतूस बारह बोर व एक अदद खोखा कारतूस बारह बोर व चौदह अदद खोखा कारतूस 315 बोर की बरामदगी के उपरान्त मु०अ०सं० 92/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुरारा बनाम कुंवरपाल सिंह यादव बमुद्दइत एस.ओ. सुभाष कुमार यादव की विवेचना करते हुये सी०डी० नम्बर प्रथम में नकल फर्द बरामदगी, कायमी नकल रपट नम्बर 24 समय 15:30 का विवरण दर्ज करते हुये एफ.आई.आर. लेखक कां० राजेन्द्र सिंह का बयान लिया था। सीडी नम्बर चार दिनांक 07.05.2016 में अभियुक्त कुंवरपाल के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपपत्र संख्या 58/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुरारा में अभियोजन स्वीकृति देते हुये, नियमानुसार कम्प्यूटर आपरेटर से मूल आरोप तैयार कराकर न्यायालय प्रेषित किया था। पत्रावली में संल्गन कागज संख्या 6 क अभियोजन स्वीकृति तथा मूल आरोपपत्र संख्या 58/2016 कागज संख्या 3 क/01 लगायत 3 क/05 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही अभियोजन स्वीकृति है जिसे मैंने जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर से नियमानुसार प्राप्त करते हुये न्यायालय प्रेषित किया था जिन पर क्रमशः प्रदर्श क–22 व प्रदर्श क–23 डाला गया। जिरह में इस साक्षी ने मुख्य रूप से यह कहा है कि रोहित यादव की अभियोजन स्वीकृति लेते समय माननीय जिलाधिकारी के समक्ष बरामदगी माल खोला गया था। देशी राईफल 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 व 5 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, राईफल चालू हालत में थी। अभियुक्त कुंवर पाल से बरामद अभियोजन स्वीकृत के समय जिलाधिकारी महोदय के सामने खोला गया था जिसमें एक अदद देशी राईफल 315 बोर, एक अदद डी०बी०बी०एल० गन फैक्ट्री मेड नम्बर घिसा हुआ, दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 14 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

अवैध थे। 12 बोर का कोई खोखा कारतूस का ध्यान नहीं है। सर्व मुहर माल मेरे द्वारा ले जाया गया था। घटनास्थल का नक्शा नजरी बरामदगी के लगभग एक माह के अन्दर मैंने बनाया था, जो दिनांक 06.05.2016 को बनाया गया था। जिस स्थान में रोहित यादव से अवैध असलहा एवं कारतूस बरामद हुए थे। वह स्थान मैंने नक्शे में X संकेत से प्रदर्शित किया है तथा अभियुक्त कुंवरपाल यादव से बरामद अवैध असलहा भी मेरे द्वारा नक्शा नजरी में X संकेत से प्रदर्शित किया गया है। साक्षी पी०डब्लू०–7 विवेचक है, जिसने अभियोजन स्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त किया, बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी बनाया है तथा विवेचना की औपचारिकता को पूरा करते हुए, अभियुक्तगण के विरुद्ध आयुध अधनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, पत्रावली पर कोई फोरेंसिक रिपोर्ट उक्त बावत नहीं है, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि हथियार चालू हालत में था अथवा खराब थे। जबकि इस साक्षी ने बयान दिया है कि सभी हथियार चालू हालत में है। ऐसा किस आधार पर यह कथन किया गया, अभियोजन कथानक को कमजोर करता है।

42– नक्शा नजरी पेपर नं० 7क प्रदर्श क–9 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 1. संकेत A से घटनास्थल सड़कि किनारे दस्शित है, जहां पर अभियुक्तगण वादी मुकदमा के बहनोई के साथ मारपीट व ठेका से रुपये लूटे जाना बताया जाता है। 2. संकेत E से मकान धीरेन्द्र पुत्र अवधेश निवासी झलोखर दर्शित है। 3. संकेत C से दिनेश पुत्र रामाधीन का मकान व दुकान दर्शित है। 4. संकेत ॥ से ठेका के सामने खाली जगह में पेड़ दर्शित हैं। 5. संकेत तीर चिन्ह से देशी शराब ठेका से A बिन्दु जहां पर मारपीट किया जाना दर्शित है, दूरी करीब 45 मीटर दर्शित है। घटनास्थल A वहां दुकान का कोई सिंबल नहीं बनाया गया है, केवल फोर लेन रोड के पास दिखाया गया है, दुकान के अन्दर मारपीट व लूट का मामला आया है, जबकि अक्सर शराब की दुकान पूरी तरह से खोलकर बिक्री नहीं होती और एक छोटा सा खिड़की, जिसमें केवल सामान का आदार प्रदान व पैसा लिया जा सके। जबकि कहा गया है कि दुकान के अन्दर घुंसकर शराब की लूट, छः हजार रुपये की लूट व मारपीट की गई। अभियोजन साक्ष्य में यह कमी प्रतीत होती है कि उनका साक्ष्य स्पष्ट नहीं करता कि अभियुक्तगण दुकान के अन्दर कैसे घुंसे? या बाहर पी०डब्लू०–2 नरेन्द्र से कैसे मारपीट हुई? अमूमन शराब बेचने वाले दुकान के अन्दर ही रहते हैं और छोटा सा खिड़की, जिससे शराब और पैसे का खरीद–बिक्री करते हैं। इस प्रकार संकेत 1 घटनास्थल A साबित नहीं होता। फिर भी मारपीट की घटना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

43– साक्षी पी०डब्लू०–8 निरीक्षक सुभाष कुमार यादव ने अपने बयानों में कथन किया है कि अभियुक्त के बताये स्थान नेठी जंगल में घनी झाड़ियों के पास आये तो अभियुक्त साथ में आगे आगे चलकर घनी झाड़ियो से एक काले रंग की पालीथीन में लिपटी हुई एक अदद देशी बन्दूक बारह बोर, एक अदद देशी बन्दूक 315 बोर व एक अदद अद्धी देशी 315 बोर व एक अदद फ्रैक्टरी मेड बन्दूक बारह बोर नम्बर घिसा हुआ निकाल कर दिया और बताया कि इन्ही बंदूकों व राइफलों से मैंने व मेरे साथियों ने देशी शराब ठेका के सेल्स मैन को मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाकर मरणासन्न कर दिया था। जिनको मैंने इसी घनी झाड़ी में पालीथीन में लपेटकर छिपाकर रख दिया था। बरामद असलहे व कारतूस को कब्जा पुलिस में लेकर जिसमें दो कारतूस जिन्दा 315 बोर व पांच अदद खोखा कारतूस 315 बोर, दो जिन्दा कारतूस बारह बोर व दो अदद खोखा कारतूस रंग एक लाल व एक मटमैला बारह बोर, एक अदद फैक्ट्री मेड बारह बोर बन्दूक जिसके बट में काले रंग रैक्सीन का खोल लगा है। खौल में दो अदद कारतूस बारह बोर व रंग लाल जिसमें एक गोली व एक ब्लैक है, एक अदद अद्धी 315 बोर देशी उक्त चारों असलहे चालू हालत में है। अभियुक्त से बरामद अवैध असलहा रखने का लाइसेंस तलब किया गया तो नहीं दिखा सका। अभियुक्त रोहित की गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर नियमानुसार तैयार की गयी थी, जो पत्रावली में शामिल कागज संख्या 8क है, जिसमें मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–25 डाला गया तथा

एस.टी.नं. 129/2016 मु.अ.सं. 58/2016 थाना कुरारा अन्तर्गत धारा धारा–147, 148, 308 भा.द.सं राज्य प्रति रोहित यादव आदि से सम्बन्धित पत्रावली एस.टी. नं० 131/2016 राज्य प्रति कुंवर पाल यादव धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कुरारा मु०अ०सं० 92/2016 फर्द बरामदगी से सम्बन्धित एक अदद देशी राइफल 315 बोर, एक अदद डी०बी०बी०एल० गन फैक्ट्री मेड नम्बर घिसा हुआ व दो अदद जिन्दा कारतूस बारह बोर, एक अदद खोखा कारतूस बारह बोर व चौदह अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज सम्बन्धित मु.अ.सं. 58/2016 धारा 147, 148, 308 भा.द.वि. अन्तर्गत थाना कुरारा जिला हमीरपुर के सम्बन्ध में मैं दिनांक 12.04.2016 को एस.आई. सुरेन्द्र सिंह, एस.आई. बलबीर सिंह, एस.सी.पी. हरि लाल, एस.सी.पी. नफीस अहमद, कां. अवधेश कुमार, कां० राजेन्द्र सिंह, कां० जयप्रकाश, कां० अमीरुलहक मय जीप सरकारी चालक संतोष कुमार पाण्डेय रपट नम्बर 20 समय 12:35 पी.एम. उम्मीद बरामदगी सम्बन्धित मु०अ०सं० 58/2016 से सम्बन्धित घटना प्रयुक्त असलहा अभियुक्त कुंवरपाल यादव, जो मा० न्यायालय सी.जे.एम. हमीरपुर द्वारा प्राप्त कस्टडी रिमाण्ड में आया है, को साथ लेकर रवाना होकर गवाहान फराहम करने का प्रयास किया तो कोई व्यक्ति भलाई–बुराई के कारण तैयार नहीं हुआ। अभियुक्त के बताये गये स्थान में नेठी जंगल में घनी झाड़ियों के पास पहुंचे तो अभियुक्त साथ में आगे आगे चलकर घनी झाड़ियों से एक काले रंग की पालीथीन में लिपटी हुयी एक अदद देशी राइफल 315 बोर व एक अदद डी.बी.बी.एल. गन फैक्ट्री मेड जिसके नम्बर घिसे हुये हैं। अभियुक्त कुंवरपाल ने निकाल कर दिया और बताया कि साहब इसी राइफल व दोनालियों से मैंने व मेरे साथियों ने मिलकर देशी शराब ठेका दुकान झलोखर में सेल्समैन नरेन्द्र सिंह को बटों से मारपीटकर गम्भीर चोट पहुंचाकर मरणासन्न कर दिया था जिनको मैंने इसी घनी झाड़ी में पालीथीन में लपेटकर छिपाकर रख दिया था तथा समय करीब 13:40 बजे बरामद असलहा व कारतूस कब्जा पुलिस में लेकर हुलिया दर्ज की गयी। बारह बोर डी.बी.बी.एल. बन्दूक के बट में लगे मटमैले रंग का खोल लगा था खोल में दो अदद कारतूस जिन्दा बारह बोर जिसमें एक सफेद रंग व एक मटमैला रंग का है व एक खोखा कारतूस बारह बोर मटमैले रंग डी.बी.बी.एल. चालू हालत में है तथा एक अदद रायफल देशी 315 बोर उक्त राइफल चालू हालत में है तथा राइफल में एक सफेद पालीथीन में चौदह अदद खोखा कारतूस 315 बोर बंधे हैं। अभियुक्त को जुर्म धारा 3/25 आयुध अधिनियम के बारे में अवगत कराया गया तथा मौके पर बरामद उक्त दोनो असलहों, कारतूसों व खोखों को उसी काले रंग की पालीथीन में लेपटकर एक कपड़े में रखकर सिलकर सर्व सील मुहर किया गया। मौके पर ही हमराही बलबीर सिंह को बोल–बोलकर फर्द लिखाई थी व अभियुक्त के निशानी अंगूठा बनवाये थे तथा सभी हमराहियान व मैंने स्वयं अपने हस्ताक्षर बनाये थे, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 5क मूल फर्द है, जिस पर प्रदर्श क–26 डाला गया। उक्त मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त कुंवरपाल की गिरफ्तारी भी मैंने की थी। गिरफ्तारी प्रपत्र 9क पर प्रदर्श क–27 डाला गया। जिरह में साक्षी ने मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि बरामदशुदा डी.बी.बी.एल. जो आज मेरे सामने है, यह अभियुक्त कुंवरपाल से बरामद हुई है। जिस समय बन्दूक डी.बी.बी.एल. बरामद हुई थी, मैंने बन्दूक खोलकर देखा था। बरामदशुदा राइफल 315 बोर देशी है चालू हालत में है। मेरे सामने एक फैक्ट्री मेड एस.बी.बी.एल. और एक देशी एस.बी.बी.एल. व एक देशी राइफल व एक 315 बोर अद्धी रखी हुयी है। फैक्ट्री मेड एस.बी.बी.एल. मे दो जिन्दा कारतूस लगे हुये हैं तथा देशी एस.बी.बी.एल. में दो जिन्दा व दो खोखा कारतूस लगे हुये हैं, जो बरामदगी के समय लगे थे तथा देशी राइफल मे दो जिन्दा तथा पांच खोखा कारतूस लगे हुये हैं। ये असलहे सभी अभियुक्त रोहित यादव से नेठी के जंगल में झाड़ियों से बरामद कराया था। बरामदगी से संबंधित सभी कार्यवाही घटनास्थल पर ही की गई थी। जिनसे गवाह बनने के लिए कहा था, उनके नाम पते फर्द में नहीं लिखे क्योकि उन्होने

नाम पते बताने से इंकार कर दिया था, क्योंकि वह खूंखार अपराधी था। अभियुक्त ने जमीन पर पड़ी हुई काली पालीथीन में से सभी बरामदशुदा असलहे निकालकर दिये थे। जो भी कारतूस बरामद हुए थे, वह सब राइफल व बंदूक में लगे हुए थे। उसी दिन मैंने अभियुक्त कुंवर पाल से भी उसी के द्वारा निकाल कर दिये गये असलहो की बरामदगी उसके द्वारा बताए गए स्थान से की थी। दोनो मुल्जिमानो से बरामद फैक्ट्री मेड असलहे बरामद हुए थे। दोनो मुल्जिमानो द्वारा असलहो की बरामदगी नेठी जंगल में कराया जाना ज्ञात था। मुल्जिमान से जो खोखे बरामद हुए थे, उनका विवरण मैंने फर्द में अंकित किया है। इस साक्षी द्वारा अभियुक्तगण रोहित एवं कुंवरपाल के कब्जे से अवैध असलहे बरामद किये जाने का कथन किया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य से आर्म्र्स एक्ट की धारा–3/25 साबित है।

44– पत्रावली पर ऐसा साक्ष्य नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चोटों से मृत्यु की संभावना की पुष्टि होती हो। हथियार की प्रकृति, प्रयुक्त बल, लक्षित महत्वपूर्ण शारीरिक अंगों और परिस्थितियों के आधार पर अनुमान लगाना, जिससे मृत्यु की संभावना हो, ऐसा साक्ष्य अथवा आवश्यक शर्त, धारा–308 भा०दं०सं० की अवधारणा को अमान्य साबित करती हैं। इस मामले की परिस्थितियों से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगणों के विरुद्ध आपराधिक रिकार्ड होने का फायदा विवेचक द्वारा वादी मुकदमा के अथवा शराब का मालिक, जो इस मामले में कहीं भी नहीं है, के प्रभाव में आकर विवेचना किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण व वादी मुकदमा के बीच पूर्व में विवाद को लेकर, पेशबन्दी के तहत यह मामला आया है क्योंकि पी०डब्लू०–2 के साक्ष्य में आया है कि अस्पताल की रिपोर्ट पर्चे आदि आज दिनांक 15.12.2017 को दाखिल कर रहा हूँ। जिनमें एक प्रार्थना पत्र जो दिनांक 23.01.2016 को एस०पी० हमीरपुर को दिया था, जिसकी रसीद भी उसी के साथ संलग्न है। यह प्रार्थना पत्र इस घटना से पहले का है। यह प्रार्थना पत्र मैंने हमीरपुर से टाइप कराया था। पढ़कर अपने दस्तखत बनाये थे, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। घटनास्थल वाली दुकान देशी मदिरा का लाइसेंस प्रमाण पत्र दाखिल कर रहा हूँ। इस मामले में कोई इलेक्ट्रानिक साक्ष्य जैसे सी०सी०टी०वी० कैमरा, फूटेज दाखिल नहीं है, जो अभियोजन कथानक को कमजोर करता है।

45– इस मामले में अभियुक्तगण पांच हैं, जिनके द्वारा बल्वा किया जाने का कथन है, जो घातक आयुध से सुसज्जित होकर, बल्वा कारित करना कहा गया है, जिसके तहत वादी मुकदमा व मजरूब/चुटहैल द्वारा कहा गया कि अभियुक्तगण घातक आयुध, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किये जाने पर मृत्यु की संभावना, संभाव्य हो, से सज्जित होते हुए, बल्वा कारित किये, परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिसके आधार पर यह कहा जाये कि पत्रावली पर जो साक्ष्य है, क्योंकि कोई फोरेंसिक साक्ष्य नहीं है, क्योंकि जो बन्दूक रायफल झगड़े में प्रयोग किया गया, वो चलायमान है या नहीं, स्पष्ट नहीं है। साक्ष्य में इतना आया है कि रायफल व बन्दूक लगाकर लूट व मारपीट की गई। जबकि लूट बाद में विवेचना दौरान हटा दिया गया, जिसके आधार पर यह स्पष्ट हो सके कि प्रश्नगत मामले में हथियार, जो अभियोजन द्वारा कथित है, वह चलायमान है या नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि हथियारों का जखीरा, जो इस मामले में अभियोजन द्वारा कथन है, वह सत्य नहीं है क्योंकि उसका प्रयोग इस मामले में किया ही नहीं गया और शुरुआत में धारा–395 भा०दं०सं० के तहत दायर किया, उसके पश्चात धारा–147,148,308 भा०दं०सं० में तरमीम किया गया।

46– साक्ष्य का मूल्यांकन यदि इस पूरे मामले का किया जाये, तो उक्त मामले में पत्रावली पर जो भी मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य हैं, इसके आधार पर आपराधिक गतिविधि, आपराधिक कार्य ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता तो यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता, तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। जबकि यह

मामला एक अलग प्रकार का तथा भिन्न है। इसमें हेतुक और सीधे साक्ष्य का अभाव है, परन्तु इस मामले में मजरूब को आई चोटों को देखा जाये तो गंभीर प्रकृति की नहीं प्रतीत होती। ऐसे में साक्ष्य से निष्कर्ष है कि चोटें पहुँचाने का इरादा अथवा जानकारी का अभाव है। चोटें ऐसी नहीं है, जिससे मृत्यु का कारण बनती तथा आरोपी का गंभीर चोट या मृत्यु पहुँचाने का इरादा नहीं था। शराब लेने के संबंध में कहा सुनी पश्चात यह घटना अस्तित्व में आई। आहत आख्या से कंधे पर तथा आंख के भौं के पास व पैर के तालू में अथवा बीच में चोटें आना कहा गया है। घायल की चोटें जानलेवा नहीं, बल्कि मामूली प्रकार की हैं। शुरुआत में यह मामला भा०दं०सं० की धारा–395 के तहत आया, जिसमें लूट और मारपीट यानी रायफल बन्दूक दिखाकर किया जाना कहा गया, बाद में धारा–147, 148, 308 भा०दं०सं० व धारा–3/25 आयुध अधिनियम में आरोप बनाया गया। हालांकि एक भी गोली चलने का साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है और न ही कोई फोरेंसिक रिपोर्ट है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जो हथियारों का जखीरा अभियोजन द्वारा बताया गया है, वह सभी चलायमान हैं, अथवा नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।

47– प्रश्नगत मामले में चिकित्सीय साक्ष्य, गवाहों के बयान और पत्रावली पर फोरेंसिक साक्ष्य न होना, इस मामले को आपराधिक कृत्य, इरादा, ज्ञान तथा मामले की तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, धारा–325 भा०दं०सं० के अन्तर्गत यह मामला पाया जाता है न कि भा०दं०सं० की धारा–308 का, क्योंकि इस मामले में अभियुक्तगणों का इरादा स्पष्ट नहीं है, अचानक शराब के चक्कर में लड़ाई होना, साक्ष्यों से प्रकट है तथा पूर्वचिंतन का अभाव है। चोटें मामूली हैं। भा०दं०सं० की धारा–308 के तहत अपराधियों का इरादा और ज्ञान साबित नहीं है।

48– न्यायालय इस मामले में आवश्यक अथवा अनावश्यक के बीच न्याय खोजना नहीं बल्कि इस प्रश्नगत मामले में निहित अटकलो, धारणाओ तथा परिकल्पनाओ से भीतर हटकर अथवा अलग दृष्टिकोण रखते हुए, निष्कर्ष ज्ञापित करती है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध पत्रावली पर दाखिल मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य सबूत के रूप में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसलिए विधि की परिधियों के भीतर न्यायालय के अनुभावात्मक और संवेदनशील दृष्टिकोण पश्चात् ऐसा लगता है कि घटना जो घटित होना कहा गया है, उसमें मारपीट की घटना सत्य है अथवा साबित है। इस प्रकार अभियोजन अपने कथानक को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

49– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगणों के साक्ष्य में पारस्पिरिक, एकरूपता, सामंजस्य एवं संपुष्टि है। ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं है, जिसके आधार पर अभियुक्तगण को झूठा फंसाया जाना दर्शित हुआ हो अथवा इनकी निर्दोषिता साबित होती हो। संदर्भित साक्ष्य के परिशीलन से एकमात्र यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रश्नगत अपराध निश्चित रूप से अभियुक्तगण द्वारा ही कारित किया गया है।

50– पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के विश्लेषण पश्चात, न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण रोहित यादव, कुंवरपाल सिंह यादव, प्रेमचन्द्र यादव, 4–महेश यादव एवं दीपक यादव के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–147, 148, 325 भा०दं०सं० एवं अभियुक्तगण रोहित यादव एवं कुंवरपाल सिंह यादव के विरुद्ध लगाये गए आरोप अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। फलस्वरूप अभियुक्तगण उक्त धाराओं में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

सत्र परीक्षण सं० 129/2016 राज्य बनाम रोहित यादव आदि, मु०अ०सं० 58/2016, अन्तर्गत धारा 147, 148, 308 भा०दं०सं० थाना कुरारा, जिला

हमीरपुर के मामले में, अभियुक्तगण 1–रोहित यादव, 2–कुंवरपाल सिंह यादव, 3–प्रेमचन्द्र यादव एवं 4–महेश यादव को अन्तर्गत धारा–147, 148, 325 भा०दं०सं० के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

सत्र परीक्षण सं० 05/2017 राज्य बनाम दीपक यादव, मु०अ०सं० 58/2016, अन्तर्गत धारा 147, 148, 308 भा०दं०सं० थाना कुरारा, जिला हमीरपुर के मामले में अभियुक्त दीपक यादव को अन्तर्गत धारा–147, 148, 325 भा०दं०सं० के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

सत्र परीक्षण सं० 130/2016 राज्य बनाम रोहित यादव, मु०अ०सं० 91/2016, अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना कुरारा, जिला हमीरपुर के मामले में अभियुक्त रोहित यादव को अन्तर्गत धारा– 3/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

सत्र परीक्षण सं० 131/2016 राज्य बनाम कुंवरपाल, मु०अ०सं० 92/2016, अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना कुरारा, जिला हमीरपुर के मामले में अभियुक्त कुंवरपाल सिंह यादव को अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

उक्त मामलों में अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र व जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त कुंवरपाल यादव जरिये वी०सी० न्यायालय उपस्थित है, अभियुक्तगण दीपक यादव व प्रेमचन्द्र यादव तलवी पर न्यायालय उपस्थित हैं तथा अभियुक्तगण रोहित यादव व महेश यादव व्यक्तिगत रूप से न्यायालय उपस्थित हैं। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु लन्च बाद पेश हो।

दिनांक–07.04.2026

(अनिल कुमार खरवार)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(द०प्र०क्षे०), हमीरपुर।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०), हमीरपुर।

परीक्षण सं0–129/2016
मु0 अ 0 सं0–58/2016
धारा–147, 148, 325 भा०दं०सं०
थाना–कुरारा, जिला हमीरपुर।

एवं
परीक्षण सं0–05/2017
मु0 अ 0 सं0–58/2016
धारा–147, 148, 325 भा०दं०सं०
थाना–कुरारा, जिला हमीरपुर।

एवं
परीक्षण सं0–130/2016
मु0 अ 0 सं0–91/2016
धारा–3/25 आयुध अधिनियम
थाना–कुरारा, जिला हमीरपुर।

एवं
परीक्षण सं0–131/2016
मु0 अ 0 सं0–92/2016
धारा–3/25 आयुध अधिनियम
थाना–कुरारा, जिला हमीरपुर।

07.04.2026

लन्च बाद

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। दोषसिद्ध अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित हैं। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह मामला पेशबन्दी और बनावटी है, झूठा मामला बनाकर, अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास को आधार बनाकर, इस मामले में अभियोजित किया गया। मेडिकल रिपोर्ट से यह प्रकट है कि मजरूब की चोटें एक्सिडेंटल हैं। कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०), हमीरपुर द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए बहस किया गया कि अभियुक्तगण पर अपराध साबित हुआ है, इसलिये उन्हें अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाए।

आपराधिक विचारण में दण्ड की मात्रा का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेज होता है। दण्ड न तो अधिक होना चाहिये न तो कम होना चाहिए, वरन उसकी मात्रा ऐसी होनी चाहिये, जिससे न्याय की पूर्ति हो और विधि का शासन स्थापित करने में सहयोगी हो। अतः संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना

न्याय की मंशा के अनुरूप होगा।

<u>दण्डादेश</u>

सत्र परीक्षण सं० 129/2016 राज्य बनाम रोहित यादव आदि, मु०अ०सं० 58/2016, अन्तर्गत धारा–147,148,325 भा०दं०सं० थाना कुरारा, जिला हमीरपुर के मामले में, अभियुक्तगण 1–रोहित यादव, 2–कुंवरपाल सिंह यादव, 3–प्रेमचन्द्र यादव एवं 4–महेश यादव प्रत्येक को–

धारा–325 भा०दं०सं० के तहत तीन–तीन वर्ष के कारावास एवं 1,000–1,000/–(एक–एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से, दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्तगण प्रत्येक को एक–एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

धारा–147 भा०दं०सं० के तहत छः–छः माह के कारावास एवं 500–500/–(पांच–पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से, दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्तगण प्रत्येक को पन्द्रह–पन्द्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

धारा–148 भा०दं०सं० के तहत एक–एक वर्ष के कारावास एवं 500–500/–(पांच–पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से, दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्तगण प्रत्येक को पन्द्रह–पन्द्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

सत्र परीक्षण सं० 05/2017 राज्य बनाम दीपक यादव, मु०अ०सं० 58/2016, अन्तर्गत धारा–147,148,325 भा०दं०सं० थाना कुरारा, जिला हमीरपुर के मामले में, अभियुक्त दीपक यादव को–

धारा–325 भा०दं०सं० के तहत तीन वर्ष के कारावास एवं 1,000/–(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से, दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

धारा–147 भा०दं०सं० के तहत छः माह के कारावास एवं 500/–(पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से, दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को पन्द्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

धारा–148 भा०दं०सं० के तहत एक वर्ष के कारावास एवं 500/–(पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से, दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को पन्द्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

सत्र परीक्षण सं०–130/2016 राज्य बनाम रोहित यादव, मु०अ०सं० 91/2016, अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कुरारा, जिला हमीरपुर के मामले में, अभियुक्त रोहित यादव को धारा–3/25 आयुध अधिनियम के तहत तीन वर्ष के कारावास एवं 1,000/–(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से, दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

सत्र परीक्षण सं० 131/2016 राज्य बनाम कुंवरपाल, मु०अ०सं० 92/2016, अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कुरारा, जिला हमीरपुर के मामले में अभियुक्त कुंरपाल सिंह यादव को धारा–3/25 आयुध अधिनियम के तहत तीन वर्ष के कारावास एवं 1,000/–(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से, दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

समस्त सजायें साथ–साथ चलेंगी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(द.प्र.क्षे.), हमीरपुर।

अभियुक्तगण द्वारा उक्त मामले में जांच अन्वेषण तथा विचारण के दौरान जेल में बितायी गई अवधि, सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी।

अभियुक्तगण प्रत्येक को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

तद्नुसार सजायावी वारण्ट तैयार कर, अविलम्ब कारागार प्रेषित किया जाए। धारा–437 ए दं०प्र०सं० का अनुपालन किया जाए।

इस निर्णय/आदेश की एक–एक प्रति सत्र परीक्षण सं० 05/2017, 130/2016 व 131/2016 में भी रखी जाये।

दिनांक–07.04.2026

(अनिल कुमार खरवार)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(द०प्र०क्षे०), हमीरपुर।

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–07.04.2026

(अनिल कुमार खरवार)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(द०प्र०क्षे०), हमीरपुर।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(द.प्र.क्षे.)

Digitally signed by ANIL KUMAR KHARWAR
Date: 2026.04.08 17:06:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court